दिल्ली विश्वविद्यालय

स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश
हेतु
सूचना बुलेटिन
2021-2022

कुलपति का संदेश

जैसा कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय की यात्रा के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करते हैं, मैं उन सभी उम्मीदवारों का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं जो इस परिवार का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं और अध्ययन और अनुसंधान के 500 से अधिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। केवल तीन महाविद्यालयों और 750 विद्यार्थियों के साथ वर्ष 1922 में स्थापित, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने लिए एक जगह बनाई है, जो अपने 86 से अधिक विभागों और अनुसंधान केंद्रों के साथ-साथ 91 महाविद्यालयों के माध्यम से अकादमिक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक विविधता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।

7 लाख से अधिक विद्यार्थियों और हजारों विशिष्ट संकाय सदस्यों के साथ कई शानदार पूर्व विद्यार्थियों के हमारे समृद्ध संसाधनों ने हमेशा हमें ख्याति दिलाई है। यह इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम व्यवहारों(प्रैक्टिसेस) को बनाए रखा है। इसके परिणामस्वरूप इसे नैक द्वारा ए$^+$ ग्रेड प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय ने सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (सीडब्ल्यूयूआर 2021-22) के अनुसार राष्ट्रीय रैंक में 6वां स्थान हासिल किया है और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2020 में 11वें स्थान पर है। यह शीर्ष 10 भारतीय सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में भी शामिल है और क्यू.एस ब्रिक्स विश्वविद्यालय रैंकिंग के तहत भारतीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में पहला है। विश्वविद्यालय के हिंडेक्स ने 219 (स्कोपस डाटाबेस के अनुसार) को छुआ, जो भारतीय विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक है और क्यू.एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में 13 स्थानों पर अपनी रैंकिंग में सुधार हुआ; 474 स्थान पर है। इसके अलावा, हमें आउटलुक-आईसीएआरई इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 द्वारा शीर्ष 25 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर और शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 8वें स्थान पर रखा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय को क्यू.एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 501-510 के रूप में स्थान दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 601-800 रैंक, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 201-250 रैंक, और इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 182वें स्थान पर रहा है।

हमारे संघटक महाविद्यालयों ने इंडिया टुडे ऑल इंडिया रैंकिंग सर्वे ऑफ कॉलेजेज, 2021 में एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय(एमओई) द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस (आई.ओ.ई) घोषित किया गया है और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) ने इसे ए$^+$ ग्रेड के साथ 3.28 के सी.जी.पी.ए स्कोर के साथ देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में मान्यता दी है। आईओई के रूप में, विश्वविद्यालय को अंतर-अनुशासनात्मक/बहुविषयक दृष्टिकोण वाले अत्याधुनिक अनुसंधान आधारित संस्थानों की मेजबानी करने पर गर्व है। हमें विश्वास है कि आपकी सक्रिय भागीदारी और समर्थन से आने वाले वर्षों में इस तरह की प्रशंसा बढ़ेगी।

शिक्षण अनुसंधान और इसकी आउटरीच गतिविधियों में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, दिल्ली विश्वविद्यालय सभी के लिए समानता, न्यायसम्य और न्याय के सिद्धांतों को गहराई से पोषित करता है। जबकि देश

की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं जैसे वन डी.यू पोर्टल में अभिनव शिक्षाशास्त्र के माध्यम से प्रगति करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लड़कियों और महिलाओं और हाशिए के समुदायों से संबंधित लोगों की शिक्षा पर विशेष जोर देते हैं। जबकि विश्वविद्यालय जहां भी आवश्यक हो, समावेशिता के उच्चतम बेंचमार्क की दिशा में प्रयासरत है, ऐसे व्यक्तियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, योजनाएं और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सभी के माध्यम से सशक्तिकरण हमारा निरंतर प्रयास है।

जबकि विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी परिसर वर्षों से परिभाषित परिसर बने हुए हैं, यह अब पूरे शहर में विस्तारित हो गया है। हम सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर और नजफगढ़ के पास रोशनपुरा में पश्चिमी परिसर विकसित करने की प्रक्रिया में भी हैं।

जबकि विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी परिसर वर्षों से परिभाषित परिसर बने हुए हैं, यह अब पूरे शहर में विस्तारित हो गया है। हम सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर और नजफगढ़ के पास रोशनपुरा में पश्चिमी परिसर विकसित करने की प्रक्रिया में भी हैं।

विस्तार और उत्कृष्टता की भावना को आगे बढ़ाते हुए भारतके कई जाने-माने साहित्यकार, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, कानूनविद, सिविल सेवक, रक्षाकर्मी, राजनेता, खिलाड़ी, फिल्मी हस्तियां, पत्रकार और व्यापार जगत के नेता इस संस्था के विद्यार्थी अथवा संकाय सदस्य रहे हैं।

हमारे आउटरीच कार्यक्रम, विशेष रूप से गोद लिए गए पांच गांवों में 'प्लास्टिक मुक्त गांव' अभियान में हमारी सक्रिय भागीदारी, सामाजिक सशक्तिकरण और सामुदायिक जुड़ाव के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का संकेत है। हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार, विश्वविद्यालय ने अपनी पूरी प्रवेश प्रक्रिया को संपर्क रहित और ऑनलाइन बनाने जैसे अभिनव तरीकों का उपयोग करके कोविड-19 महामारी के दौरान शैक्षिक कार्यक्रमों और सामुदायिक समर्थन के सुचारू संचालन की दिशा में अपना भरसक प्रयास किया है।

जैसा कि *नई शिक्षा नीति, 2020* में कहा गया है, कि आने वाले दशकों में भारत का एक वैश्विक महाशक्ति बनने का सपना मुख्य रूप से वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए अपने मानव संसाधनों के कौशल बढ़ाने, नवाचारों को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप बढ़ाने पर निर्भर करता है। विश्वविद्यालय इस सपने को मूर्त रूप देने के लिए भरसक योगदान देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

हमारे दूरदर्शी और मार्गदर्शक आदर्श वाक्य के*साथ 'निष्ठा धृति सत्यम';* हम उच्च शिक्षा में वैश्विक नेता बनने के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इस महान लक्ष्य की ओर, हम आप में से प्रत्येक को हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं।

प्रो. पी.सी. जोशी

ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए

- शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक-पूर्व कार्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक पात्र उम्मीदवार को सूचना के इस बुलेटिन की विषय-वस्तु को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए।
- विश्वविद्यालय बिना किसी भी पूर्व सूचना के इस बुलेटिन के किसी भी भाग को परिशोधित करने, संशोधित करने, अद्यतन करने अथवा हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस प्रकार किए गए किसी भी परिवर्तन को यू.जी. दाखिला पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा।
- इस बुलेटिन के जारी होने के बाद किसी भी कार्यक्रम में किए गए कोई भी परिवर्तन स्नातक-पूर्व दाखिला पोर्टल, **www.admission.uod.ac.in** पर पोस्ट किए जाने की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।
- उम्मीदवार अपडेट के लिए पोर्टल की नियमित रूप से जाँच करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस बुलेटिन और पोर्टल को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ने के कारण होने वाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- सूचना बुलेटिन में जानकारी विभिन्न संकायों, विभागों, केंद्रों, महाविद्यालयों, डी.यू के अन्य संस्थानों और संबंधित स्रोतों से एकत्रित और संकलित इनपुट का एक संग्रह है। जहाँ तक संभव हो, इस बुलेटिन में नियमों और विनियमों और अन्य प्रासंगिक जानकारी के प्रामाणिक आधिकारिक संस्करण को पुन: प्रस्तुत करने में उचित सावधानी बरती गई है। हालांकि, यह, किसी भी स्थिति में, एक तैयार संदर्भ के रूप में अब तक प्रदान की गई जानकारी की पूर्णता और सटीकता के बारे में वारंटी, व्यक्त अथवा निहित के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- दिल्ली विश्वविद्यालय बुलेटिन में दी गई सूचना के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान अथवा क्षति के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है। बुलेटिन में कोई भी त्रुटि अनजाने में हुई चूक, लिपिकीय गलतियों अथवा किसी अन्य कारण से हो सकती है।

स्नातक (यू.जी.) प्रवेश के संबंध में अधिसूचनाओं और अद्यतन जानकारी हेतु कृपया देखें:

www.admission.uod.ac.in

महत्वपूर्ण बिंदु

- दाखिला के लिए किसी भी आवश्यकता का अनुपालन न करने के मामले में, जिसमें संबंधित दस्तावेज जमा न करना और/अथवा निर्धारित तिथि और समय के भीतर शुल्क का भुगतान न करना शामिल है, तो उम्मीदवार दाखिला के अपने अधिकारी को खो देगा।
- यदि किसी भी स्तर पर किसी अभ्यर्थी के दाखिला संबंधी मूल दस्तावेज फर्जी/गैर-वास्तविक अथवा मनगढ़ंत अथवा किसी अन्य तरीके से दोषपूर्ण पाए जाते हैं तो उक्त अभ्यर्थी को दाखिला नहीं दिया जाएगा और यदि पहले से दाखिला दिया गया है तो इस संबंध में बिना किसी पूर्व सूचना के दाखिला निरस्त कर दिया जाएगा। यदि कार्यक्रम पूरा होने के बाद ऐसा पाया जाता है, तो उसकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सूचना के बुलेटिन (बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन) की विषय-वस्तु को ध्यान से पढ़ें और दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 और संविधियों को भी पढ़ें। दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.admission.uod.ac.in पर उपलब्ध दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश, नियम और विनियम उन पर बाध्यकारी होंगे।
- दाखिला प्रक्रिया में उम्मीदवार की भागीदारी अनंतिम होगी। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि वह न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है, तो उसको दाखिला, यदि दिया जाता है तो उसे वास्तविक रूप से रद्द कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जिस कार्यक्रम (प्रोग्राम) के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड का पता लगाएं। यदि कोई उम्मीदवार बाद के चरण में आवेदन किए गए कार्यक्रम के लिए अपात्र पाया जाता है तो विश्वविद्यालय पंजीकरण शुल्क वापस नहीं करेगा।

विषय-सूची

1		स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश - 2021-22	1
	1.1	ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शुल्क	3
2		विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित स्नातक कार्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश	4
	2.1	मेरिट आधारित स्नातक प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम के अनुसार मेरिट सूची	4
	2.2	कला संकाय के माध्यम से प्रस्तावित बी.ए. (ऑनर्स) कार्यक्रमों में मेरिट-आधारित प्रवेश	9
	2.3	सामाजिक विज्ञान संकाय के माध्यम से प्रस्तावित बी.ए. (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश	12
	2.4	सामाजिक विज्ञान संकाय के माध्यम से प्रस्तावित बी.ए. (व्यावसायिक) कार्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश	14
	2.5	बीए (कार्यक्रम) में मेरिट-आधारित प्रवेश	14
	2.6	बी.ए. (ऑनर्स) में मेरिट-आधारित प्रवेश अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यक्रम (प्रोग्राम)	15
	2.7	अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय के माध्यम से प्रस्तावित बी.वोक. कार्यक्रम में मेरिट-आधारित प्रवेश	17
	2.8	वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन संकाय के माध्यम से प्रस्तावित बी.कॉम. (ऑनर्स)/बी.कॉम पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश	21
	2.9	गणितीय विज्ञान संकाय के माध्यम से प्रस्तावित बी.एससी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश	22
	2.10	विज्ञान संकाय, और अंतर-अनुशासनात्मक और व्यावहारिक विज्ञान के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश	23
	2.11	स्नातक मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया	27
3		स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा-आधारित प्रवेश	29
	3.1	राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन.टी.ए) के बारे में	30
	3.2	परीक्षा पद्धति	30
	3.3	पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश इन प्रवेश-परीक्षाओं पर आधारित है	32
	3.4	प्रवेश-आधारित प्रवेश के साथ स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु पात्रता और चयन प्रक्रिया	35
	3.5	प्रवेश परीक्षा आधारित यू.जी. प्रवेश प्रक्रिया	42
4		अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण	47
	4.1	अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण	47
	4.2	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी, नॉन क्रीमी लेयर, केंद्रीय सूची) के लिए सीटों का आरक्षण	49

	4.3	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए आरक्षण नीति	50
5		मानक स्तर की विकलांगता वाले व्यक्तियों हेतु आरक्षण; सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों / विधवाओं के लिए; कश्मीरी प्रवासी; जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति; सिक्किम के नामांकित छात्र; कर्मचारी के पाल्य हेतु आरक्षण	51
	5.1	मानक स्तर की विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) हेतु सीटों का आरक्षण	51
	5.2	सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए आरक्षण (सीडब्ल्यू)	56
	5.3	कश्मीरी प्रवासियों (के.एम) (अधिसंख्य सीटों) का आरक्षण	58
	5.4	जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना	58
	5.5	सिक्किम-विद्यार्थियों के लिए सीटों का नामांकन	59
	5.6	डी.यू. वार्ड कोटे के लिए सीटें	60
6		पाठ्येतर गतिविधियां (ई.सी.ए.) और खेल कोटा	60
	6.1	ईसीए कोटा	61
	6.2	खेल-कूद (स्पोर्ट्स) कोटा के तहत प्रवेश	74
7		गैर-महाविद्यालयीन महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईबी) में प्रवेश	80
8		अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्रवेश	84
9		प्रवेश के लिए आवश्यकताएँ	85
	9.1	अर्हता परीक्षाएँ	85
	9.2	आयु आवश्यकता	85
	9.3	समतुल्यता मापदंड	85
	9.4	ग्रेड रूपांतरण	86
	9.5	पुनः जाँच / पुनर्मूल्यांकन	86
10		पंजीकरण के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची	89
11		दाखिला शिकायत निवारण समितियाँ	90
		परिशिष्ट	
परिशिष्ट I		विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण अध्यादेश	
परिशिष्ट II		बी.ए. (व्यावसायिक अध्ययन) के लिए संबंधित व्यावसायिक विषय	
परिशिष्ट III		ट्रायल के लिए खेल श्रेणियों की संभावित सूची	
परिशिष्ट IV		आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण	
परिशिष्ट V		ओबीसी प्रमाणपत्र का प्रारूप	
परिशिष्ट VI		शैक्षिक रियायत प्रमाणपत्र का प्रारूप	
परिशिष्ट VII		प्रवेश परीक्षा विवरण	

महत्वपूर्ण समय-सीमा		
कार्य	**प्रारंभ होने की तिथि**	**समाप्त होने की तिथि**
सभी यूजी मेरिट आधारित कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण और पंजीकरण शुल्क का भुगतान।	**02.08.2021**	**31.08.2021**
सभी यूजी प्रवेश आधारित कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण और पंजीकरण शुल्क का भुगतान।	**02.08.2021**	**31.08.2021**
कटऑफ और प्रवेश सूची की घोषणा	**बाद में** http://www.admission.uod.ac.in/ **पर घोषित किया जाएगा।**	

हेल्प डेस्क सूचना

प्रवेश से संबंधित किसी भी सामान्य जानकारी के लिए, आवेदक निम्न कर सकता है:

1. यूजी पोर्टल पर उपलब्ध चैट बॉट पर प्रश्न पोस्ट करें
2. ug@admission.du.ac.in पर ईमेल लिखें
3. संपर्क करें: प्रवेश शाखा, दिल्ली विश्वविद्यालय

1 स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश - 2021-22

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक (यूजी) कार्यक्रमों में प्रवेश मेरिट-आधारित (अर्थात, बारहवीं कक्षा के बोर्ड/अर्हता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर) अथवा प्रवेश-आधारित (अर्थात एक इच्छुक छात्र द्वारा चयनित कार्यक्रम हेतु निर्धारित लिखित/व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर) है।

1. सभी उम्मीदवारों को दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल www.admission.uod.ac.in के माध्यम से पंजीकरण करना होगा
2. वर्ष 2021-22 के लिए सभी स्नातक प्रवेश केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के पोर्टल के माध्यम से ही प्रदान किए जाएंगे।
3. किसी भी उम्मीदवार के लिए ऑफलाइन प्रवेश नहीं है।
4. प्रवेश के लिए केवल योग्य/पात्र उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने विश्वविद्यालय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किया है।
5. जब भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है, उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
6. सभी प्रवेश प्रक्रियाओं को उम्मीदवार द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक प्रवेश पोर्टल पर बनाए गए विशेष लॉगिन आईडी का उपयोग करके पूरा किया जाना है।

स्नातक कार्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड

- ❖ उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। (विदेशी छात्र वर्ग के अंतर्गत प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी विदेशी छात्र रजिस्ट्री वेबसाइट http://fsr.du.ac.in पर अलग से आवेदन करें।)

- ❖ उम्मीदवार को भारत में या भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (एआईयू) द्वारा 10+2 प्रणाली के समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

- ❖ अभ्यर्थी को मेरिट की गणना के लिए आवश्यक प्रत्येक विषय (प्रायोगिक सहित, यदि कोई हो) में व्यक्तिगत रूप से 'उत्तीर्ण' होना चाहिए, और जिस कार्यक्रम में वे प्रवेश लेना चाहते हैं, उस हेतु पात्रता होनी चाहिए।

- ❖ स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से वर्ष के अंतराल वाले उम्मीदवारों को कोई नुकसान नहीं होगा।

- ❖ अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणियों के तहत अभ्यर्थी सभी महाविद्यालयों / विभागों (अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर, जहाँ कुछ श्रेणियां लागू नहीं हो सकती हैं) के पाठ्यक्रमों में मेरिट और प्रवेश परीक्षा दोनों के आधार पर प्रवेश लेने के लिए पात्र हैं।

- ❖ सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों के उम्मीदवार भी विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक कॉलेजों में अल्पसंख्यक कोटे के तहत प्रवेश ले सकते हैं।

• निम्नलिखित श्रेणियों को "वैकल्पिक तौर पर पात्र" नामित किया गया है:

i) पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति);

ii) सीडब्ल्यू (पैरा-मिलिट्री सहित सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चे/विधवाएं);

iii) के एम (कश्मीरी प्रवासी);

iv) जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री की विशेष छात्रवृत्ति;

v) एस एस (नामित सिक्किमी छात्र);

vi) डब्ल्यूक्यू (वार्ड कोटा);

vii) ईसीए (पाठ्येतर गतिविधियाँ);

viii) खेल।

नोटः उपरोक्त वर्णित श्रेणियां i - viii उन पाठ्यक्रमों पर लागू हैं जिनमें प्रवेश केवल मेरिट-आधारित है। ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए जिसमें प्रवेश किसी प्रवेश-परीक्षा पर आधारित है, वहां केवल श्रेणी i, ii और vi से संबंधित अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, जो कि अन्य पात्रता मानदंडों की पूर्ति की शर्त पर होंगी।

1.1 ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शुल्क

अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए मेरिट आधारित कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	रु. 250
अनु.जाति/अनु.जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी के लिए पंजीकरण शुल्क	रु. 100
ईसीए/खेल के लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क	रु. 100
अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए प्रत्येक प्रवेश-आधारित कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क	रु. 750
अनु.जाति/अनु.जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी के लिए प्रत्येक प्रवेश-आधारित कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क	रु. 300
प्रवेश रद्द करने का शुल्क (यूजीसी/डीयू के मानदंडों के अनुसार)	रु. 1000

पंजीकरण शुल्क प्राप्त होने के बाद ही ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा माना जाता है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजीकरण शुल्क सही पोर्टल पर जमा किया गया है; विश्वविद्यालय के स्नातक प्रवेश पोर्टल पर उम्मीदवार के डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध किसी अन्य लिंक के माध्यम से किए गए भुगतान/जमा पर विचार नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया को समय पर पूरा कर लें और अंतिम दिन की प्रतीक्षा न करें।

पंजीकरण शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, यदि अभ्यर्थी को बाद के चरण में कार्यक्रम अथवा संबंधित श्रेणी के लिए अपात्र पाया जाता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ठीक ढंग से जांच लें कि वे ऐसे कार्यक्रम(ओं) हेतु सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसके लिए वे प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो कि अभ्यर्थी के संबंधित अध्ययन पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन

है। यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए निर्धारित किसी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, और प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होता है, तो यह उम्मीदवार के उनके स्वयं की जोखिम और लागत पर होगा। यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है, तो प्रवेश, यदि दिया गया है, तो यथातथ्यतः रद्द कर दिया जाएगा।

2 विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित स्नातक कार्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश

विश्वविद्यालय अपने महाविद्यालयों के माध्यम से विभिन्न संकायों जैसे कला, सामाजिक विज्ञान, व्यावहारिक सामाजिक विज्ञान और मानविकी, वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन, गणितीय विज्ञान, विज्ञान और अंतर-अनुशासनात्मक तथा व्यावहारिक विज्ञान कार्यक्रमों के तहत अध्ययन की विभिन्न धाराओं में स्नातक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। स्नातक स्तर पर प्रस्तावित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं। अभ्यर्थियों को यह अच्छी तरह से देखना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि वे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं अथवा नहीं।

इन कार्यक्रमों में प्रवेश विभिन्न मानदंडों और प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जो कि इस सूचना-बुलेटिन में विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। इस सूचना-बुलेटिन के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अलावा, महाविद्यालयों द्वारा कोई अतिरिक्त पात्रता मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।

2.1 मेरिट आधारित स्नातक प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम-वार मेरिट सूची

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सुझाए गए कार्यक्रम और श्रेणी-वार मेरिट सूची का दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए अंक (स्नातक प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण के समय) कला संकायों, वाणिज्य, गणितीय विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, व्यावहारिक सामाजिक विज्ञान और मानविकी हेतु के माध्यम से कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 'सर्वश्रेष्ठ-चार' कार्यक्रम-विशिष्ट संयोजनों हेतु कुल अंकों की गणना के आधार के रूप में कार्य करेंगे, और 'तीन विषय' व्यावहारिक विज्ञान संकायों के तहत कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए होंगे। इसे महाविद्यालयों / विभागों द्वारा प्रथम कट-ऑफ अंक घोषित करने से पहले स्नातक प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अलग अद्यतन मेरिट सूची एक अनुलग्नक के रूप में प्रकाशित की जाएगी, जिनके अंक सुझाए गए कार्यक्रम और श्रेणी-वार मेरिट सूची के प्रकाशन के बाद अद्यतन किए जाते हैं।

उक्त योग्यता सूची को सुविधाजनक बनाने के लिए, उम्मीदवार सूची क और सूची ख से प्रासंगिक विषयों का चयन कर सकते हैं।

2.1.1 कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंडों में छूट

- उनकी पात्रता और योग्यता निर्धारित करने के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रवेश के लिए संबंधित पात्रता मानदंड और योग्यता के सापेक्ष 5% तक की छूट दी जाएगी। यदि 5% तक छूट देने के बाद भी ये आरक्षित सीटें रिक्त रहती हैं, तो संबंधित कार्यक्रम में सभी आरक्षित सीटों को भरने के लिए आवश्यक सीमा तक और अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में योग्यता उत्तीर्ण होने का प्रतिशत है।

- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता और योग्यता निर्धारित करने हेतु अर्हक परीक्षा में संबंधित पात्रता में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पात्रता अंकों के सापेक्ष 10% तक की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए किसी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता 40% है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 36% (अर्थात 40% में से 10% को घटाकर) होगी।

- पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों को योग्यता परीक्षा में संबंधित कार्यक्रम के लिए संबंधित पात्रता में 5% तक की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए किसी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता 40% है, तो पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 38% (अर्थात 40% में से 5% को घटाकर) होगी।

- सीवी श्रेणी के अभ्यर्थियों को योग्यता परीक्षा में संबंधित कार्यक्रम के लिए संबंधित पात्रता में 5% तक की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए किसी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता 40% है, तो सीवी श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 38% (अर्थात 40% में से 5% को घटाकर) होगी।

- ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मेरिट आधारित प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड यूआर श्रेणी के समान होगा

2.1.2 कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता की पुष्टि लगाना और विषयों की मेरिट सूची की गणना करनाः

सूची क: भाषा विषय					
सूची क1					सूची क2
असमिया कोर / असमिया वैकल्पिक	गुजराती कोर / गुजराती वैकल्पिक	मैथिली कोर / मैथिली वैकल्पिक	ओडिया कोर/ ओडिया वैकल्पिक	तमिल कोर/ तमिल वैकल्पिक	अरबी कोर/ अरबी वैकल्पिक
बंगाली कोर / बंगाली वैकल्पिक	हिंदी कोर/ हिंदी वैकल्पिक	मलयालम कोर / मलयालम वैकल्पिक	पंजाबी कोर / पंजाबी वैकल्पिक	तेलुगु कोर / तेलुगु वैकल्पिक	फ्रेंच कोर / फ्रेंच वैकल्पिक
बोडो कोर/ बोडो वैकल्पिक	कन्नड़ कोर / कन्नड़ वैकल्पिक	मणिपुरी कोर / मणिपुरी वैकल्पिक	संस्कृत कोर / संस्कृत वैकल्पिक	उर्दू कोर/उर्दू वैकल्पिक	जर्मन कोर/जर्मन वैकल्पिक
डोगरी कोर/ डोगरी वैकल्पिक	कश्मीरी कोर / कश्मीरी वैकल्पिक	मराठी कोर / मराठी वैकल्पिक	संथाली कोर / संथाली वैकल्पिक		इटैलियन कोर/ इटैलियन वैकल्पिक
अंग्रेजी कोर / अंग्रेजी वैकल्पिक	कोंकणी कोर / कोंकणी वैकल्पिक	नेपाली कोर/नेपाली वैकल्पिक	सिंधी कोर/सिंधी वैकल्पिक		फारसी कोर / फ़ारसी वैकल्पिक
					स्पेनिश कोर / स्पेनिश वैकल्पिक

सूची ख: (वैकल्पिक / शैक्षणिक विषय)		
अकाउंटेंसी	कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर एप्लीकेशन / इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज	गणित
एंथ्रोपोलॉजी	इकोनॉमिक्स (अर्थशास्त्र)	फिलॉसफी (दर्शन शास्त्र) / लॉजिक एंड फिलॉसफी
बायोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री / बायोटेक्नोलॉजी	जियोग्राफी (भूगोल)	फिजिक्स (भौतिक विज्ञान)
बिजनेस मैथमेटिक्स	जियोलॉजी (भूविज्ञान)	राजनीति विज्ञान
केमिस्ट्री	इतिहास	मनोविज्ञान
सिविक्स	गृह विज्ञान	समाज शास्त्र
वाणिज्य / व्यवसाय अध्ययन	कानूनी अध्ययन	सांख्यिकी

मेरिट अंकों की गणनाः सामान्य दिशानिर्देश कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता मानदंड योग्यता प्राप्तांक निर्धारित करते हैं, जिस पर प्रत्येक कार्यक्रम में प्रवेश आधारित होता है। अभ्यर्थियों को इन मानदंडों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, यह समझने के लिए कि वे योग्य हैं अथवा नहीं। विस्तृत कार्यक्रम विशिष्ट मानदंड नीचे खंड 2.2 - 2.9 में प्रदान किए गए हैं।

1. सभी शैक्षणिक विषयों को 'वैकल्पिक' माना जाना चाहिए। गणना के लिए पात्र विषयों (कार्यक्रम-विशिष्ट मानदंडों के अधीन) को उपरोक्त सूची क और सूची ख में सूचीबद्ध किया गया है।

2. विश्वविद्यालय किसी अन्य प्रासंगिक विषयों को किसी विशेष पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक / वैकल्पिक के रूप में परिभाषित कर सकता है।

3. कला संकायों, वाणिज्य, गणितीय विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, व्यावहारिक सामाजिक विज्ञान और मानविकी के कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 'सर्वश्रेष्ठ-चार' कार्यक्रम-विशिष्ट संयोजनों हेतु कुल प्राप्तांको के आधार पर मेरिट की गणना की जाएगी, और 'तीन विषयों' व्यावहारिक विज्ञान संकायों के तहत कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्राप्तांकों के कार्यक्रम-विशिष्ट संयोजन के माध्यम से मेरिट की गणना की जाती है।

2.1.3 सीबीएसई को छोड़कर अन्य बोर्ड के अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश

1. यदि किसी पेपर का शीर्षक उपरोक्त सूची क और सूची ख में निर्दिष्ट सामग्री से मेल नहीं खाता है, तो अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह पिछली संस्था के प्राचार्य/संस्था के प्रमुख से विषय-सामग्री समान होने का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे जो यह प्रमाणित करता हो कि पेपर की विषय-सामग्री उस विशेष पेपर हेतु एनसीईआरटी कक्षा बारहवीं के पाठ्यक्रम के समकक्ष है। इस प्रकार के समकक्ष होने के प्रमाणपत्र के साथ संबंधित पेपर के पाठ्यक्रम की एक प्रति संलग्न होनी चाहिए, जो संस्थान के प्राचार्य/संस्था के प्रमुख द्वारा सत्यापित की गई हो। हालाँकि, इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
2. यदि अभ्यर्थी ने “वनस्पति विज्ञान” और “प्राणि विज्ञान” का अलग-अलग अध्ययन किया है, तो इन दोनों पेपरों में कुल प्राप्तांको को प्रवेश फार्म में दिए गए खाने में “जीव विज्ञान” शीर्षक के तहत सैद्धांतिक और प्रायोगिक के लिए संबंधित खानों में प्रविष्ट किया जाना चाहिए।
3. यदि अभ्यर्थी की अंकसूची में कक्षा ग्यारहवी और कक्षा बारहवी, दोनों के अंक दर्ज हैं, तो अभ्यर्थी को प्रवेश फॉर्म में दिए गए संबंधित खानों में **केवल बारहवीं कक्षा के अंक** दर्ज करने होंगे।
4. अभ्यर्थियों को सैद्धांतिक और प्रायोगिक पेपर अलग-अलग उत्तीर्ण होना चाहिए। सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों घटकों वाले किसी भी पेपर को केवल **70 (सैद्धांतिक): 30 (प्रायोगिक)** के अनुपात में माना जाएगा, यदि पेपर का सैद्धांतिक घटक 70% से कम अंकों का है। अभ्यर्थी को प्रत्येक पेपर में प्राप्तांकों तथा सैद्धांतिक व प्रायोगिक हेतु अधिकतम अंकों को उनकी मार्कशीट के अनुसार कुल अंक दर्ज करके ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म में अलग से भरना चाहिए। यदि **सैद्धांतिक/प्रायोगिक का मदवार वर्गीकरण निर्दिष्ट नहीं है**, तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में उस पेपर के लिए पहले खाने (“सैद्धांतिक”) में केवल अपने कुल प्राप्तांक दर्ज करने होंगे।
5. अंकसूची में उल्लिखित *"आंतरिक मूल्यांकन"* अंक, यदि कोई हो, का उपयोग किसी भी गणना के लिए नहीं किया जाएगा।
6. सैद्धांतिक, प्रायोगिक अथवा कुल प्राप्तांकों से संबंधित अंकों की प्रविष्टि में कोई भी विसंगति अथवा त्रुटि, अभ्यर्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण फॉर्म को भरने में अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि प्रविष्टि में त्रुटियों के कारण प्रवेश फार्म को सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है।

2.2 कला संकाय के माध्यम से प्रस्तावित बी.ए. (ऑनर्स) कार्यक्रमों में मेरिट-आधारित प्रवेश

सर्वोत्तम चार विषयों के संयोजन हेतु अंकों की गणना के लिए अधिकतम दो भाषा विषयों के चयन की अनुमति दी जा सकती है; हालाँकि, दो भाषाओं में से केवल एक ही भाषा-विषय मुख्य भाषा हो सकती है।

कार्यक्रम	योग्यता (मेरिट) की गणना के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और विषयों का संयोजन
बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी	❖ अर्हता परीक्षा में कुल 45% अंक। ❖ अभ्यर्थी ने अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी का अध्ययन किया हो और उत्तीर्ण किया होना चाहिए, और उसे 'सर्वश्रेष्ठ चार' विषयों हेतु प्रतिशत की गणना के लिए अंग्रेजी को शामिल करना चाहिए। ❖ सूची क और सूची ख में सूचीबद्ध विषयों में से "सर्वश्रेष्ठ चार" विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी, जिसमें एक भाषा विषय और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषय होंगे। ❖ सूची क और सूची ख के अलावा किसी भी विषय को सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में शामिल करने पर, ऐसे विषय पर प्रत्येक हेतु 2.5% की कटौती की जाएगी, जो कि कुल "सर्वश्रेष्ठ चार" विषयों के प्रतिशत में शामिल है। ❖ "सर्वश्रेष्ठ चार" विषयों के प्रतिशत में 2% का लाभ उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जिन्होंने एक वैकल्पिक शैक्षणिक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन किया है (सूची क देखें)।
बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी	❖ अर्हता परीक्षा में कुल 45% अंक। ❖ अर्हता परीक्षा में कुल मिलाकर 40% अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वाले और हिंदी में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी संबंधित ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र हैं। ❖ जिन अभ्यर्थियों ने भारतीय विश्वविद्यालय / बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा

	कुल मिलाकर कम से कम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, और 'हिंदी में प्रभाकर' भी पूर्ण किया है, वे प्रवेश हेतु पात्र होंगे। ❖ अभ्यर्थी ने अर्हक परीक्षा में हिंदी का अध्ययन किया हो और उत्तीर्ण किया हो, और उसे 'सर्वश्रेष्ठ चार' विषयों के प्रतिशत की गणना के लिए हिंदी को शामिल करना चाहिए। ❖ सूची क और सूची ख में सूचीबद्ध विषयों में से "सर्वश्रेष्ठ चार" विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी, जिसमें एक भाषा विषय और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक / वैकल्पिक विषय होंगे। ❖ सूची क और सूची ख के अलावा किसी भी विषय को सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में शामिल करने पर, ऐसे विषय पर प्रत्येक हेतु 2.5% की कटौती की जाएगी, जो कि कुल "सर्वश्रेष्ठ चार" विषयों के प्रतिशत में शामिल है। ❖ 'सर्वश्रेष्ठ चार' विषयों के प्रतिशत में 2% का लाभ उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जिन्होंने एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन किया है (सूची क देखें)।
बीए (ऑनर्स) अरबी / बंगाली / फारसी / पंजाबी / संस्कृत / उर्दू	❖ अर्हता परीक्षा में कुल 45% अंक। ❖ कुल मिलाकर 40% अंक और संबंधित विषय में 50% अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी संबंधित ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र हैं। ❖ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा कुल मिलाकर कम से कम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, और निम्नलिखित में से एक परीक्षा भी उत्तीर्ण की है, वे नीचे दिए गए ऑनर्स पाठ्यक्रमों के संबंधित विषय में प्रवेश हेतु पात्र होंगेः ◦ अरबी में मौलवी फाजिल ◦ फ़ारसी में मुंशी फ़ाज़िल ◦ पंजाबी में ज्ञानी ◦ संस्कृत में शास्त्री ◦ उर्दू में एक बोली फ़ाज़िल ❖ सूची क और सूची ख में सूचीबद्ध विषयों में से विषयों के आधार पर

	मेरिट निर्धारित की जाएगी, जिसमें एक भाषा विषय और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषय होंगे। ❖ सूची क और सूची ख के अलावा किसी भी विषय को सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में शामिल करने पर, ऐसे विषय पर प्रत्येक हेतु 2.5% की कटौती की जाएगी, जो कि कुल "सर्वश्रेष्ठ चार" विषयों के प्रतिशत में शामिल है। ❖ किसी भी भाषा विषय में ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उन उम्मीदवारों को कुल 'सर्वश्रेष्ठ चार' विषयों की प्रतिशतता में 2% का लाभ दिया जाएगा, जिन्होंने उस विशेष तौर पर निर्दिष्ट वैकल्पिक भाषा का अध्ययन किया है। ❖ यदि किसी अभ्यर्थी ने अर्हक परीक्षा स्तर पर किसी ऐसी भाषा का अध्ययन नहीं किया है और वह उस भाषा में ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है, तो ऐसे मामलों में 'सर्वश्रेष्ठ चार' कुल प्रतिशतता पर 5% की कटौती की जाएगी।
बीए (ऑनर्स) फ्रेंच / जर्मन / इतालवी / स्पेनिश	❖ अर्हता परीक्षा में कुल मिलाकर 45% अंक। ❖ उपरोक्त सूची क और सूची ख से एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक / वैकल्पिक विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी। ❖ सूची क और सूची ख के अलावा किसी भी विषय को सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में शामिल करने पर, ऐसे विषय पर प्रत्येक हेतु 2.5% की कटौती की जाएगी, जो कि कुल "सर्वश्रेष्ठ चार" विषयों के प्रतिशत में शामिल है। ❖ किसी भी भाषा विषय में ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उन उम्मीदवारों को कुल 'सर्वश्रेष्ठ चार' विषयों की प्रतिशतता में 2% का लाभ दिया जाएगा, जिन्होंने उस विशेष तौर पर निर्दिष्ट वैकल्पिक भाषा का अध्ययन किया है। ❖ यदि किसी अभ्यर्थी ने अर्हता परीक्षा में किसी भाषा का अध्ययन नहीं किया है और वह उस भाषा में ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है, तो कुल 'सर्वश्रेष्ठ चार' के प्रतिशत में से 5% की कटौती की जाएगी।

2.3 सामाजिक विज्ञान संकाय के माध्यम से प्रस्तावित बी.ए. (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश

सर्वोत्तम चार विषयों के संयोजन हेतु अंकों की गणना के लिए अधिकतम दो भाषा विषयों के चयन की अनुमति दी जा सकती है; हालांकि, दो भाषाओं में से केवल एक ही भाषा-विषय मुख्य भाषा हो सकती है।

कार्यक्रम	योग्यता (मेरिट) की गणना के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और विषयों का संयोजन
बी.ए. (ऑनर्स) **अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान / भूगोल / इतिहास / राजनीति विज्ञान / सामाजिक कार्य / समाजशास्त्र / दर्शनशास्त्र / मनोविज्ञान**	❖ अर्हता परीक्षा में कुल 45% अंक। ❖ एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी, जैसा कि ऊपर सूची क और सूची ख में निर्दिष्ट किया गया है। ❖ सूची क और सूची ख के अलावा किसी भी विषय को सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में शामिल करने पर, ऐसे विषय पर प्रत्येक हेतु 2.5% की कटौती की जाएगी, जो कि कुल "सर्वश्रेष्ठ चार" विषयों के प्रतिशत में शामिल है। ❖ ऊपर चुने गए तीन शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों में से एक संबंधित विषय होना चाहिए, जिसमें प्रवेश चाहा गया है, ऐसा न करने पर 'सर्वश्रेष्ठ चार' विषयों के प्रतिशत के योग मे से 2.5% की कटौती की जाएगी। यह कटौती बीए (ऑनर्स) सामाजिक कार्य और बीए (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र विषयों पर लागू नहीं होगी। ❖ बीए (ऑनर्स) व्यावहारिक मनोविज्ञान में प्रवेश 'सर्वश्रेष्ठ चार' प्रतिशत के आधार पर होगा, जैसा कि बीए (ऑनर्स) मनोविज्ञान में होता है। ❖ बीए (ऑनर्स) सामाजिक कार्य और बीए (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र में प्रवेश 'सर्वश्रेष्ठ चार' के प्रतिशत पर आधारित होगा, जिसमें एक भाषा और तीन शैक्षणिक/वैकल्पिक विषय शामिल हैं।
बी.ए. (ऑनर्स) **अर्थशास्त्र**	❖ अर्हता परीक्षा में कुल 45% अंक। ❖ अर्थशास्त्र में बी.ए. (ऑनर्स) में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को अर्हता परीक्षा में गणित

	का अध्ययन किया और उत्तीर्ण होना चाहिए। ❖ उपरोक्त सूची क और सूची ख से एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी। ❖ ऊपर चुने गए तीन शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों में से एक संबंधित विषय होना चाहिए, जिसमें प्रवेश चाहा गया है, ऐसा न करने पर 'सर्वश्रेष्ठ चार' विषयों के प्रतिशत के योग मे से 2.5% की कटौती की जाएगी। ❖ सूची क और ख के अलावा "सर्वश्रेष्ठ तीन" के संयोजन में किसी भी विषय को शामिल करने पर, सर्वश्रेष्ठ चार में से कुल पर प्रति विषय 2.5% की कटौती की जाएगी।

2.4 सामाजिक विज्ञान संकाय के माध्यम से प्रस्तावित बी.ए. (व्यावसायिक) पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश

सर्वोत्तम चार विषयों के संयोजन हेतु अंकों की गणना के लिए अधिकतम दो भाषा विषयों के चयन की अनुमति दी जा सकती है; हालांकि, दो भाषाओं में से केवल एक ही भाषा-विषय मुख्य भाषा हो सकती है।

बी.ए. (व्यावसायिक अध्ययन)	❖ अर्हता परीक्षा में कुल 45% अंक। ❖ उपरोक्त सूची क और सूची ख से एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी। ❖ केवल बीए (व्यावसायिक) में प्रवेश के लिए, संबंधित व्यावसायिक विषयों को शैक्षणिक / वैकल्पिक विषयों के समान माना जा सकता है, और ऐसे दो व्यावसायिक विषयों तक, जो अध्ययन के कार्यक्रम के संबंध में हैं, को "सर्वश्रेष्ठ चार" की गणना के लिए शामिल किया जा सकता है (संबंधित व्यावसायिक विषयों की सूची के लिए परिशिष्ट II देखें, जिन पर कुल मिलाकर प्रति विषय 2.5% की कटौती लागू नहीं होगी)। निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं: 1) बी.ए. (व्यावसायिक अध्ययन) मानव संसाधन प्रबंधन 2) बी.ए. (व्यावसायिक अध्ययन) बीमा का प्रबंधन और विपणन 3) बी.ए. (व्यावसायिक अध्ययन) विपणन प्रबंधन और खुदरा व्यापार 4) बी.ए. (व्यावसायिक अध्ययन) सामग्री प्रबंधन 5) बी.ए. (व्यावसायिक अध्ययन) कार्यालय प्रबंधन और सचिवीय अभ्यास (ओएमएसपी) 6) बी.ए. (व्यावसायिक अध्ययन) लघु और मध्यम उद्यम 7) बी.ए. (व्यावसायिक अध्ययन) पर्यटन प्रबंधन

2.5 बीए (कार्यक्रम) में मेरिट-आधारित प्रवेश

सर्वोत्तम चार विषयों के संयोजन हेतु अंकों की गणना के लिए अधिकतम दो भाषा विषयों के चयन की अनुमति दी जा सकती है; हालांकि, दो भाषाओं में से केवल एक ही भाषा-विषय मुख्य भाषा हो सकती है।

अभ्यर्थियों को कॉलेजों द्वारा प्रस्तावित संयोजनों में से दो “विषयों” के संयोजन का चयन करना होगा। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मानदंड वांछित संयोजन पर आधारित हैं।

कार्यक्रम	**योग्यता (मेरिट) की गणना के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और विषयों का संयोजन**
बी.ए. कार्यक्रम (अनुशासन विषय संयोजन आधारित प्रवेश)	❖ अर्हता परीक्षा में कुल 40% अंक। ❖ एक भाषा (कोर/वैकल्पिक/कार्यात्मक) और दो सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी, जैसा कि ऊपर सूची क और सूची ख में निर्दिष्ट किया गया है। ❖ एक गैर-सूचीबद्ध विषय (जो सूची क और ख में वैकल्पिक विषयों के अलावा हो) को बिना किसी कटौती के 'सर्वश्रेष्ठ चार' की गणना में शामिल किया जा सकता है। ❖ यदि 'सर्वश्रेष्ठ चार' की गणना के लिए एक से अधिक गैर-सूचीबद्ध विषय शामिलकिए जाते हैं, तो 'सर्वश्रेष्ठ चार' में से प्रति शामिल विषय हेतु 2.5% की कटौती की जाएगी।

2.6 बी.ए. (ऑनर्स) में मेरिट-आधारित प्रवेश अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यक्रम (प्रोग्राम)।

सर्वोत्तम चार विषयों के संयोजन हेतु अंकों की गणना के लिए अधिकतम दो भाषा विषयों के चयन की अनुमति दी जा सकती है; हालांकि, दो भाषाओं में से केवल एक ही भाषा-विषय मुख्य भाषा हो सकती है।

कार्यक्रम	**योग्यता (मेरिट) की गणना के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और विषयों का संयोजन।**
बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता	❖ कुल 45% अंक या अधिक, और अर्हता परीक्षा में हिंदी भाषा उत्तीर्ण होना चाहिए। ❖ कुल मिलाकर 40% अंक और हिंदी भाषा में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी पात्र हैं। ❖ उपरोक्त सूची क और सूची ख से एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी।

	❖ इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए मास मीडिया (जन संचार) को एक अकादमिक विषय के रूप में माना जाएगा।
बी.ए. (ऑनर्स) पत्रकारिता	❖ कुल 45% अंक और अर्हता परीक्षा में अंग्रेजी भाषा उत्तीर्ण होना चाहिए। ❖ उपरोक्त सूची क और सूची ख से अंग्रेजी भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी। ❖ इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए मास मीडिया (जन संचार) को एक अकादमिक विषय के रूप में माना जाएगा।

2.7 अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय के माध्यम से प्रस्तावित बी.वोक. कार्यक्रम में मेरिट-आधारित प्रवेश

सर्वोत्तम चार विषयों के संयोजन हेतु अंकों की गणना के लिए अधिकतम दो भाषा विषयों के चयन की अनुमति दी जा सकती है; हालांकि, दो भाषाओं में से केवल एक ही भाषा-विषय मुख्य भाषा हो सकती है।

बी.वोक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए आरक्षण धारा 4* में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। हालांकि, जीसस एंड मैरी कॉलेज में ईसाई समुदाय के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। पीडब्ल्यूबीडी/सीडब्ल्यू/केएम आवेदकों हेतु बी.वोक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य से अधिक संख्या का अतिरिक्त सीटों के संबंध में आरक्षण धारा 5 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।# किसी अन्य श्रेणी में कोई सामान्य से अधिक संख्या का अतिरिक्त स्थान नहीं होगा।

***   अनुसंधान अनुभाग 4: एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण**

 #   धारा 5: पीडब्ल्यूबीडी/सीडब्ल्यू/पीएमएसएसएस, वार्ड कोटा के लिए आरक्षण।

कार्यक्रम	योग्यता (मेरिट) की गणना के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और विषयों का संयोजन।
बी.वोकेशनल (मुद्रण प्रौद्योगिकी)	❖ अर्हता परीक्षा में कुल 40% अंक होने चाहिए। ❖ मेरिट की गणना निम्नलिखित के आधार पर की जाएगीः ❖ एक भाषा (अंग्रेजी या हिंदी) (कोर/वैकल्पिक/कार्यात्मक); ❖ गणित और कोई दो वैकल्पिक विषय, जैसा कि सूची क और सूची ख में निर्दिष्ट किया गया है। ❖ प्रिंट डिजाइनिंग, प्रिंट ग्राफिक्स और ग्राफिक डिजाइन को संबंधित व्यावसायिक विषयों के रूप में माना जाएगा, और इन्हें वैकल्पिक विषय माने जा सकते हैं, और इस प्रकार इन्हें अन्य वैकल्पिक विषयों के समान माना जाएगा। 2% लाभ उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषय उत्तीर्ण किया है, और जो 'सर्वश्रेष्ठ चार' में शामिल है।

	❖ 'सर्वश्रेष्ठ चार' में शामिल किसी एक व्यावसायिक विषय में अध्ययन किए अभ्यर्थियों को 1% अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा।
बी.वोकेशनल (वेब डिजाइनिंग)	❖ अर्हता परीक्षा में कुल 40% अंक होने चाहिए। ❖ मेरिट की गणना निम्नलिखित के आधार पर की जाएगीः ❖ एक भाषा (अंग्रेजी या हिंदी) (कोर/वैकल्पिक/कार्यात्मक); ❖ गणित और कोई दो वैकल्पिक विषय, जैसा कि सूची क और सूची ख में निर्दिष्ट किया गया है। ❖ आईटी, वेब डिजाइन और कंप्यूटर विज्ञान को संबंधित व्यावसायिक विषयों के रूप में माना जाएगा, और इन्हें वैकल्पिक विषय माने जा सकते हैं, और इस प्रकार इन्हें अन्य वैकल्पिक विषयों के समान माना जाएगा। 2% लाभ उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषय उत्तीर्ण किया है, और जो 'सर्वश्रेष्ठ चार' में शामिल है। ❖ 'सर्वश्रेष्ठ चार' में शामिल किसी एक व्यावसायिक विषय में अध्ययन किए अभ्यर्थियों को 1% अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा।
बी.वोकेशनल (स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन)	❖ 10+2 या समकक्ष परीक्षाओं में कुल 40% अंक। ❖ मेरिट की गणना निम्नलिखित के आधार पर की जाएगीः ❖ एक भाषा (अंग्रेजी या हिंदी) (कोर / वैकल्पिक / कार्यात्मक); ❖ कोई तीन वैकल्पिक विषय, जैसा कि सूची क और सूची ख में निर्दिष्ट किया गया है। ❖ संबंधित व्यावसायिक विषयों को वैकल्पिक विषय माना जा सकता है, और अन्य वैकल्पिक विषयों के समकक्ष माना जा सकता है। 2% का लाभ उन्हें दिया जाएगा, जिन्होंने ऐसा संबंधित व्यावसायिक विषय पास किया है, जो 'सर्वश्रेष्ठ चार' में शामिल है। ❖ 'सर्वश्रेष्ठ चार' में शामिल किसी एक व्यावसायिक विषय में अध्ययन किए अभ्यर्थियों को 1% अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। ❖ अर्हता परीक्षा में जीव विज्ञान उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को 2% का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा।

बी.वोकेशनल (खुदरा प्रबंधन और आईटी)	❖ 10+2 या समकक्ष परीक्षाओं में कुल 40% अंक। ❖ मेरिट की गणना निम्नलिखित के आधार पर की जाएगीः ❖ एक भाषा (अंग्रेजी या हिंदी) (कोर / वैकल्पिक / कार्यात्मक); ❖ कोई तीन वैकल्पिक विषय, जैसा कि सूची क और सूची ख में निर्दिष्ट किया गया है। ❖ संबंधित व्यावसायिक विषयों को वैकल्पिक विषय माना जा सकता है, और अन्य वैकल्पिक विषयों के समकक्ष माना जा सकता है। 2% का लाभ उन्हें दिया जाएगा, जिन्होंने ऐसा संबंधित व्यावसायिक विषय पास किया है, जो 'सर्वश्रेष्ठ चार' में शामिल है। ❖ 'सर्वश्रेष्ठ चार' में शामिल किसी एक व्यावसायिक विषय में अध्ययन किए अभ्यर्थियों को 1% अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा।
बी.वोकेशनल (बैंकिंग ऑपरेशन)	❖ 10+2 या समकक्ष परीक्षाओं में कुल 40% अंक। ❖ मेरिट की गणना निम्नलिखित के आधार पर की जाएगीः ❖ एक भाषा (अंग्रेजी या हिंदी) (कोर / वैकल्पिक / कार्यात्मक); ❖ कोई तीन वैकल्पिक विषय, जैसा कि सूची क और सूची ख में निर्दिष्ट किया गया है। ❖ वित्तीय लेखांकन, लागत लेखा और अंकेक्षण के तत्व, नकद प्रबंधन और हाउस कीपिंग, ऋण संचालन, बैंक कार्यालय का प्रबंधन, जीवन बीमा के सिद्धांत और अभ्यास, कंप्यूटर और जीवन बीमा प्रशासन, व्यवसाय -2 के लिए लेखांकन, वित्तीय बाजार-2 का परिचय, और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कौशल को संबंधित व्यावसायिक विषयों के रूप में माना जाएगा, और इसे वैकल्पिक विषय के रूप में माना जा सकता है तथा इस प्रकार इन्हें अन्य वैकल्पिक विषयों के समान माना जाएगा। 2% का लाभ उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक विषय उत्तीर्ण किया है, और जो कि 'सर्वश्रेष्ठ चार' विषयों में शामिल है। ❖ 'सर्वश्रेष्ठ चार' में शामिल किसी एक व्यावसायिक विषय में अध्ययन किए अभ्यर्थियों को 1% अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा।

बी.वोकेशनल (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट)	❖ 10+2 या समकक्ष परीक्षाओं में कुल 40% अंक। ❖ मेरिट की गणना निम्नलिखित के आधार पर की जाएगी: ❖ एक भाषा (अंग्रेजी या हिंदी) (कोर / वैकल्पिक / कार्यात्मक); ❖ गणित और कोई दो वैकल्पिक विषय, जैसा कि सूची क और सूची ख में निर्दिष्ट किया गया है। ❖ आईटी सिस्टम, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग और डीटीपी, सीएडी और मल्टीमीडिया को संबंधित व्यावसायिक विषयों के रूप में माना जाएगा और अन्य वैकल्पिक विषयों के समकक्ष माना जाएगा। 2% का लाभ उन्हें दिया जाएगा, जिन्होंने ऐसा संबंधित व्यावसायिक विषय पास किया है, जो 'सर्वश्रेष्ठ चार' में शामिल है। ❖ 'सर्वश्रेष्ठ चार' में शामिल किसी एक व्यावसायिक विषय में अध्ययन किए अभ्यर्थियों को 1% अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा।

2.8 वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन संकाय के माध्यम से प्रस्तावित बी.कॉम. (ऑनर्स)/बी.कॉम पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश

सर्वोत्तम चार विषयों के संयोजन हेतु अंकों की गणना के लिए अधिकतम दो भाषा विषयों के चयन की अनुमति दी जा सकती है; हालांकि, दो भाषाओं में से केवल एक ही भाषा-विषय मुख्य भाषा हो सकती है।

कार्यक्रम	योग्यता (मेरिट) की गणना के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और विषयों का संयोजन
बी. कॉम (ऑनर्स)	❖ अर्हता परीक्षा में कुल 45% अंक। ❖ अभ्यर्थी को बी.कॉम (ऑनर्स) में प्रवेश हेतु योग्यता परीक्षा में गणित / व्यावसायिक गणित / समकक्ष विषय का अध्ययन किया और उत्तीर्ण होना चाहिए। ❖ चयन निम्नलिखित के अनुसार एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ विषयों सहित अर्हक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगाः ❖ अंग्रेजी/हिंदी में कुल 45% अथवा उससे अधिक और निम्नलिखित विषयों में सर्वश्रेष्ठ तीन का संयोजनः गणित, लेखा, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन/वाणिज्य। ❖ सूची बी से किसी भी विषय को शामिल करने के अलावा, सर्वोत्तम तीन के संयोजन में ऊपर वर्णित के अलावा होने पर कुल प्रतिशत में से प्रति विषय 1% की कटौती की जाएगी। ❖ सूची क और ख के अलावा "सर्वश्रेष्ठ तीन" के संयोजन में किसी भी विषय को शामिल करने पर, सर्वश्रेष्ठ चार में से कुल पर प्रति विषय 2.5% की कटौती की जाएगी।
बी. कॉम	❖ अर्हता परीक्षा में कुल 40% अंक। ❖ चयन निम्नलिखित के अनुसार एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ विषयों सहित अर्हक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगाः

	❖ अंग्रेजी/हिंदी में कुल 40% अथवा उससे अधिक और निम्नलिखित विषयों में सर्वश्रेष्ठ तीन का संयोजनः गणित, लेखा, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन/वाणिज्य। ❖ सूची बी से किसी भी विषय को शामिल करने के अलावा, सर्वोत्तम तीन के संयोजन में ऊपर वर्णित के अलावा होने पर कुल प्रतिशत में से प्रति विषय 1% की कटौती की जाएगी। ❖ सूची क और ख के अलावा सर्वश्रेष्ठ तीन के संयोजन में किसी भी विषय को शामिल करने पर, सर्वश्रेष्ठ चार में से कुल पर प्रति विषय 2.5% की कटौती की जाएगी।

2.9 गणितीय विज्ञान संकाय के माध्यम से प्रस्तावित बी.एससी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश

सर्वोत्तम चार विषयों के संयोजन हेतु अंकों की गणना के लिए अधिकतम दो भाषा विषयों के चयन की अनुमति दी जा सकती है; हालांकि, दो भाषाओं में से केवल एक ही भाषा-विषय मुख्य भाषा हो सकती है।

गणितीय विज्ञान संकाय के माध्यम से प्रस्तावित कार्यक्रमों में मेरिट-आधारित प्रवेश

कार्यक्रम	**योग्यता (मेरिट) की गणना के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और विषयों का संयोजन**
बी.एससी. (ऑनर्स) कम्प्यूटर साइंस	❖ मेरिट की गणना गणित के “सर्वश्रेष्ठ चार”, एक भाषा और दो अन्य विषयों के आधार पर की जाएगी, जो शैक्षणिक / वैकल्पिक विषयों के रूप में सूचीबद्ध हैं, जैसा कि ऊपर सूची क और सूची ख में निर्दिष्ट है, और जैसा निम्नलिखित के अनुसार हैः ❖ गणित में 60% या अधिक अंक अनिवार्य; ❖ गणित, एक भाषा और भौतिकी, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान / सूचना विज्ञान अभ्यास / कंप्यूटर अनुप्रयोग सहित चार विषयों में से कुल मिलाकर 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त किया हो।

	❖ अन्य धाराओं (बारहवीं कक्षा में गणित के साथ) के अभ्यर्थियों को आवश्यक चार विषयों के कुल योग में 2% का नुकसान होगा।
बी.एससी. (ऑनर्स) गणित/ सांख्यिकी (स्टेटिस्टिक्स)	❖ गणित में 50% अंक और अर्हता परीक्षा में कुल 45% अंक। ❖ एक भाषा, गणित और दो सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी, जैसा कि ऊपर सूची क और सूची ख में निर्दिष्ट किया गया है।
बी.एससी. गणित विज्ञान	❖ एक भाषा, गणित और दो सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी, जैसा कि ऊपर सूची क और सूची ख में निर्दिष्ट किया गया है।

2.10 विज्ञान संकाय, और अंतर-अनुशासनात्मक और व्यावहारिक विज्ञान के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश

सर्वोत्तम चार विषयों के संयोजन हेतु अंकों की गणना के लिए अधिकतम दो भाषा विषयों के चयन की अनुमति दी जा सकती है; हालांकि, दो भाषाओं में से केवल एक ही भाषा-विषय मुख्य भाषा हो सकती है।

कार्यक्रम	**योग्यता (मेरिट) की गणना के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और विषयों का संयोजन**
बी.एससी. (ऑनर्स) एंथ्रोपोलॉजी	❖ भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान (व्यावहारिक और सैद्धांतिक को मिलाकर) के कुल प्राप्तांक में 55% अथवा अधिक अंक; और एक अनिवार्य भाषा, अर्थात अंग्रेजी में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किया हो। ❖ मेरिट की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी
बी.एससी. (ऑनर्स) बायोलॉजिकल साइंसेज / बॉटनी / माइक्रोबायोलॉजी / जूलॉजी	❖ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव रसायन (व्यावहारिक और सैद्धांतिक को मिलाकर) के कुल प्राप्तांक में 55% अथवा अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा, अर्थात अंग्रेजी में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किया हो। ❖ मेरिट की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

बी.एससी. (ऑनर्स) केमिस्ट्री / फिजिक्स / पॉलिमर साइंस	❖ भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के कुल प्राप्तांक में 55% अथवा अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किया हो। ❖ मेरिट की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।
बी.एससी. (ऑनर्स) इलेक्ट्रॉनिक्स / इंस्ट्रुमेंटेशन	❖ भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के कुल प्राप्तांक में 55% अथवा अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किया हो। ❖ मेरिट की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।
बी.एससी. (ऑनर्स) जियोलॉजी (भूविज्ञान)	❖ भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित / भूविज्ञान / जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन / भूगोल के कुल प्राप्तांक में 55% अथवा अधिक अंक; और एक अनिवार्य भाषा में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किया हो। ❖ मेरिट की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित / भूविज्ञान / जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / भूगोल में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।
बी.एससी. (ऑनर्स) खाद्य प्रौद्योगिकी	❖ भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित / जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी/ जैव रसायन (व्यावहारिक और सैद्धांतिक को मिलाकर) के कुल प्राप्तांक में 55% अथवा अधिक अंक और अनिवार्य भाषा के रूप में अंग्रेजी में 50% अंक प्राप्त किया हो। ❖ मेरिट की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित / जीव विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव रसायन में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। ❖ अर्हता परीक्षा में गणित और जीव विज्ञान दोनों का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों को 3% की छूट दी जाएगी।
बी.एससी. (ऑनर्स) बायोकेमिस्ट्री	❖ रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन और भौतिकी / गणित (व्यावहारिक और सैद्धांतिक को मिलाकर) के कुल प्राप्तांक में 55% अथवा अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में उत्तीर्ण हो। अथवा ❖ रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन और भौतिकी / गणित (व्यावहारिक और सैद्धांतिक को मिलाकर) के कुल प्राप्तांक में

	55% अथवा अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में 50% अंक प्राप्त किया हो। ❖ मेरिट की गणना रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन और भौतिकी / गणित में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।
बी.एससी. (ऑनर्स) बायोमेडिकल साइंस	❖ अनिवार्य भाषा में 50% अथवा अधिक अंक के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव रसायन के कुल प्राप्तांक में 55% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हो। ❖ मेरिट की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। ❖ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन वाले अभ्यर्थियों को जिन्होंने अर्हता परीक्षा में गणित में 60% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, को उनके भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन के कुल प्राप्तांक के अलावा 3% का लाभ दिया जाएगा।
बी.एससी. (ऑनर्स) गृह विज्ञान	❖ सूची ख से भौतिकी / रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन और अन्य विषयों में से किन्हीं तीन के कुल में 50% या अधिक अंक। ❖ मेरिट की गणना कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी, जिसमें भौतिकी / रसायन विज्ञान/जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव रसायन का कम से कम एक विषय और सूची ख में से कोई एक विषय शामिल है।
बी.एससी. (पास) गृह विज्ञान	❖ मेरिट की गणना अनिवार्य भाषा, अर्थात अंग्रेजी और सूची बी से किन्हीं तीन शैक्षणिक वैकल्पिक विषयों के कुल योग के आधार पर की जाएगी। ❖ अभ्यर्थियों हेतु अंग्रेजी में उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना या अधिक होना अनिवार्य है।
बी.एससी. (प्रोग्राम) एप्लाइड लाइफ साइंस / लाइफ साइंस	❖ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव रसायन (व्यावहारिक और सैद्धांतिक को मिलाकर) के कुल प्राप्तांक में 45% अथवा अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में उत्तीर्ण हो (अर्थात् अंग्रेजी)।

	अथवा ❖ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव रसायन के कुल प्राप्तांक में 45% अथवा अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में 40% अंक प्राप्त किया हो। ❖ मेरिट की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान / जैव प्रोद्योगिकी / जैव रसायन में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।
बी.एससी. (प्रोग्राम) औद्योगिक रसायन विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान और जैव रसायन/एप्लाइड फिजिकल साइंस में विश्लेषणात्मक विधियों के साथ एप्लाइड फिजिकल साइंस	❖ भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर अनुप्रयोग / इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, गणित (व्यावहारिक और सैद्धांतिक को मिलाकर) के कुल प्राप्तांक में 45% अथवा अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में उत्तीर्ण हो। (अर्थात् अंग्रेजी) **अथवा** ❖ भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर अनुप्रयोग / इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, गणित (व्यावहारिक और सैद्धांतिक को मिलाकर) के कुल प्राप्तांक में 45% अथवा अधिक अंक और एक अनिवार्य भाषा में 40% अंक उत्तीर्ण हो। ❖ मेरिट की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर एप्लीकेशन / इन्फार्मेटिक्स प्रैक्टिसेज, गणित में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी
बी. एससी (प्रोग्राम) इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ रसायन विज्ञान/ भौतिक विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान	
बी. एससी (प्रोग्राम) कंप्यूटर साइंस के साथ भौतिक विज्ञान	
बी.एससी. (एच) पर्यावरण विज्ञान	❖ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जैव रसायन/गणित (व्यावहारिक और सैद्धांतिक को मिलाकर) के कुल प्राप्तांक में 55% अथवा अधिक अंक; और एक अनिवार्य भाषा, अर्थात अंग्रेजी में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किया हो। ❖ मेरिट की गणना भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन / गणित में कुल प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

2.11 स्नातक मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया

चरण I: यू.जी पोर्टल पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)

उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत उपयोगकर्ता नाम (यूजरनेम) और पासवर्ड बनाने के लिए विश्वविद्यालय यू.जी प्रवेश पोर्टल का उपयोग कर अपना पंजीकरण फॉर्म भरता है, अपने रुचि के कार्यक्रमों का चयन करता है, और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करता है। *(पंजीकरण कैसे करें, संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नियत समय पर अपलोड किए जाएंगे)*। **उम्मीदवारों को अपना फॉर्म भरने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।** उम्मीदवारों को फॉर्म जमा करने के बाद फॉर्म में प्रविष्टि की गई अधिकांश जानकारी को संपादित करने और सही करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1. स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।

2. यू.जी एडमिशन पोर्टल तक पहुंचने के लिए पहली बार किसी भी उपयोगकर्ता को एक वैध ई-मेल आईडी के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है (एक बार पोर्टल पर पंजीकृत ई-मेल आईडी डी.यू में प्रवेश के लिए किसी अन्य पंजीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है)।

3. जिन अभ्यर्थियों के पास वैध ई-मेल आईडी नहीं है, उन्हें आवेदन भरने हेतु आगे बढ़ने से पहले एक ई-मेल आईडी बनानी होगी।

4. उम्मीदवार को इस ई-मेल आईडी संभालकर रखने की जरूरत है, क्योंकि उसे प्रवेश प्रक्रिया के दौरान और प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी पोर्टल पर अपने खाते (अकाउंट) के साथ-साथ भविष्य के सभी पत्राचार हेतु इसकी आवश्यकता होगी।

5. डिफॉल्ट सेटिंग्स सभी उम्मीदवारों को बिना किसी जुर्माना (पेनल्टीज) के सभी कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने की अनुमति देती हैं।

6. उम्मीदवार सभी महाविद्यालयों और कार्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए पात्र होंगे **बशर्ते वे महाविद्यालयों की कट-ऑफ और चयनित कार्यक्रमों की पात्रता को पूरा करते हों।**

7. यदि अभ्यर्थी के परीक्षा परिणाम लंबित हैं अथवा पेपर में फिर से उपस्थित हुए हैं, तो वे विश्वविद्यालय में प्रवेश की तारीख से पहले (जब और जब दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया जाता है) इसके पूर्व के 3 दिनों तक अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके इन अंकों को अद्यतन कर सकेंगे।

8. दस्तावेजों को अपलोड करने में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। अभ्यर्थियों को उन प्रमाणपत्रों की स्कैन प्रतियों को तैयार रखने की आवश्यकता होगी, जिनके आधार पर वे प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं।

(क) दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र

(ख) बारहवीं कक्षा का प्रमाणपत्र

(ग) सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक आरक्षण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

(घ) खेल-कूद / ईसीए कोटे के तहत प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ (यदि लागू हो)।

(ङ) संगीत के सापेक्ष प्रवेश हेतु अपलोड की गई क्लिप की लिंक (यदि लागू हो)।

(च) फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या स्कूल पहचान पत्र)

9. उम्मीदवार प्रमाण-पत्र सहित अपने द्वारा अपलोड की गई सभी जानकारी के लिए जिम्मेदार होंगे। वे अपने द्वारा अपलोड की गई फाइलों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के लिए भी जिम्मेदार होंगे। अभ्यर्थी अपने फॉर्म और अपलोड किए गए दस्तावेजों का पूर्वावलोकन (प्रीविव्यु) देख सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दाखिला प्रक्रिया के दौरान इस आधार पर अस्वीकृति से बचने के लिए सभी सावधानी बरतें।

चरण II: पंजीकरण शुल्क का भुगतान

पंजीकरण फार्म को संबंधित पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के बाद ही जमा माना जाएगा। इस शुल्क का केवल उम्मीदवार के डैशबोर्ड पर प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। पंजीकरण शुल्क के भुगतान के लिए उत्पन्न इस ऑनलाइन लिंक के अलावा उम्मीदवारों के लिए कोई तरीका उपलब्ध नहीं है। जब उम्मीदवार ने पंजीकरण शुल्क को ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा कर दिया है, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए भुगतान की लेन-देन आईडी, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग विवरण और लेनदेन की तिथि के रिकॉर्ड को सबूत के रूप में रखें। इसके अलावा, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अंतिम क्षणों की गड़बड़ियों से बचने के लिए समय सीमा से पहले प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा कर लें।

कट-ऑफ अंकों और अन्य प्रवेश संबंधी घोषणाओं से संबंधित दिशा-निर्देशों के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.admission.uod.ac.in) को नियमित आधार पर जाँच करते रहें।

3. स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा-आधारित प्रवेश

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक प्रवेश-2021-22 हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश-परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है:

1. बी.ए. (ऑनर्स) बिजनेस इकोनॉमिक्स [बीए(एच) बीई]
2. प्रबंधन अध्ययन स्नातक [बीएमएस]
3. बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्तीय निवेश विश्लेषण) [बीबीए (एफआईए)]
4. बी.टेक. (सूचना प्रौद्योगिकी और गणितीय नवाचार) [बी.टेक (आईटी एंड एमआई)]
5. बी.ए. (ऑनर्स।) मानविकी और सामाजिक विज्ञान [बी.ए. (एच) एचएसएस]
6. बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन [बी.एल.एड.]
7. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल में विज्ञान स्नातक [बीएससी (पीई, एचई एंड एस)]
8. बी.ए. (ऑनर्स) मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन [बीए (एच) एमएमसी]
9. पत्रकारिता में पंचवर्षीय एकीकृत कार्यक्रम [एफवाईआईपीजे]।
10. फिजियोथेरेपी में स्नातक
11. व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक
12. बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स

प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर स्नातक-पूर्व कार्यक्रमों में दाखिला (जिसमें प्रवेश परीक्षा और 12वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दाखिला किया जाएगा) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपने कुछ महाविद्यालयों / विभागों के माध्यम से अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में प्रवेश दिया जाता है।

3.1 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन.टी.ए) के बारे में

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (एम.ओ.ई) ने प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए कुशल, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानक परीक्षणों के संचालन के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860) के तहत एक स्वतंत्र, स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन.टी.ए) की स्थापना की है।

वर्ष 2019 के बाद से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन.टी.ए) को दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (डी.यू.ई.टी. 2021) के आयोजन का जिम्मा सौंपा गया है।

3.2 परीक्षा पद्धति

परीक्षा की विधि	**सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट)**
अवधि	**2 घंटे**
प्रश्नों के प्रकार	**बहुवैकल्पिक प्रश्न**
प्रश्नों की संख्या	**100**
प्रति प्रश्न अंक	**प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 (चार) अंक**
स्कोरिंग	**गलत जवाब के लिए -1 (एक) अंकन**
पेपर का माध्यम*	**केवल अंग्रेज़ी (भाषा पाठ्यक्रमों में विशिष्टता हो सकती है)**

(*-विषय की प्रकृति के आधार पर कुछ विषयों में भिन्न हो सकते हैं)

3.2.1 परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

डीयूईटी 2021 के प्रश्न पत्र/टेस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिल्ली विश्वविद्यालय के सूचना बुलेटिन में उपलब्ध है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में संक्षिप्त सलाह:

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल में केवल निम्नलिखित को अपने साथ ले जाएँ:

क) एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड किए गए स्व-घोषणा (वचन-पत्र) के साथ प्रवेश पत्र (ए4 आकार के कागज पर एक स्पष्ट प्रिंटआउट के साथ), विधिवत भरा हुआ।
ख) एक साधारण पारदर्शी बॉलपॉइंट पेन।
ग) उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने के लिए अतिरिक्त फोटोग्राफ।
घ) पर्सनल हैंड सैनिटाइजर (50 मिली)।
ङ) व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल।
च) आईडी प्रूफ
छ) मधुमेह रोगी होने की स्थिति में चीनी की गोलियाँ/फल (जैसे केला/सेब/संतरा आदि)

3.2.2 प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्र

प्रवेश परीक्षा निम्नलिखित शहरों में स्थित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी:

क्र.सं.	शहर	क्र.सं.	शहर
1.	अहमदाबाद/गांधीनगर	15.	जम्मू
2.	अमृतसर	16.	कोलकाता
3.	बैंगलोर	17.	लखनऊ
4.	भोपाल	18.	मुंबई/नवी मुंबई
5.	भुवनेश्वर	19.	नागपुर
6.	चंडीगढ़/मोहाली	20.	पटना
7.	चेन्नई	21.	रायपुर
8.	कटक	22.	रांची
9.	देहरादून	23.	शिलांग
10.	दिल्ली (एनसीआर)*	24.	शिमला
11.	गुवाहाटी	25.	श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)
12.	हैदराबाद	26.	तिरुवनंतपुरम
13.	इंफाल	27.	वाराणसी
14.	जयपुर		

*दिल्ली/एनसीआर में शामिल हैं: दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद

3.3 पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश इन प्रवेश-परीक्षाओं पर आधारित है

संकाय	प्रोग्राम	महाविद्यालय/शिक्षण विभाग
अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी के संकाय	बी.ए. (ऑनर्स) बिजनेस इकोनॉमिक्स [बीए (एच) बीई]	आर्यभट्ट कॉलेज भीम राव अंबेडकर कॉलेज कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज गार्गी कॉलेज लक्ष्मीबाई कॉलेज महाराजा अग्रसेन कॉलेज शिवाजी कॉलेज

		श्री गुरु गोबिंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज आर्यभट्ट कॉलेज कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज
	प्रबंधन अध्ययन स्नातक [बीएमएस]	केशव महाविद्यालय राम लाल आनंद कॉलेज रामानुजन कॉलेज शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वॉमेन शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज श्री गुरु गोबिंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स
	व्यवसाय प्रशासन स्नातक (वित्तीय निवेश विश्लेषण) [बीबीए (एफआईए)]	शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वॉमेन शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज
संकाय	**प्रोग्राम**	**महाविद्यालय/शिक्षण विभाग**
क्लस्टर इनोवेशन सेंटर	बी.टेक. (सूचना प्रौद्योगिकी और गणितीय नवाचार) [बी.टेक. (आईटी और एमआई)]	क्लस्टर इनोवेशन सेंटर
	बी.ए. (ऑनर्स) मानविकी और सामाजिक विज्ञान [बीए (एच) एचएसएस]	क्लस्टर इनोवेशन सेंटर
शिक्षा संकाय	बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन [बी.एल.एड.]	अदिति महाविद्यालय गार्गी कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स जीसस एंड मैरी कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वॉमेन

		माता सुंदरी कॉलेज फॉर वॉमेन मिरांडा हाउस श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज
अंतर-अनुशासनात्मक और अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय	शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल में विज्ञान स्नातक [बीएससी (पीई, एचई और एस)]	इंदिरा गाँधी इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज
अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी के संकाय	बी.ए. (ऑनर्स) मल्टीमीडिया और जन संचार [बीए (एच) एमएमसी]	इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वॉमेन
सामाजिक विज्ञान के संकाय	पत्रकारिता में पंचवर्षीय एकीकृत कार्यक्रम [एफवाईआईपीजे]	दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म
संगीत और ललित कला संकाय*	हिंदुस्तानी संगीत में कला स्नातक (ऑनर्स)- वोकल / इंस्ट्रुमेंटल (सितार / सरोद / गिटार / वायलिन / संतूर) कर्नाटक संगीत में कला स्नातक (ऑनर्स)- वोकल / इंस्ट्रुमेंटल (वीणा / वायलिन) हिंदुस्तानी संगीत में कला स्नातक (ऑनर्स) - तालवाद्य (तबला/पखावज)	संगीत और ललित कला संकाय
	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)	अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, पं. दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकल हैंडीकैप्ड, दिव्यांगजन
	बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (बी.ओ.टी.)	अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, पं. दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकल हैंडीकैप्ड, दिव्यांगजन
	बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स (बी.पी.ओ.)	अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, पं. दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकल हैंडीकैप्ड, दिव्यांगजन

*नोटः संगीत और ललित कला संकाय के साथ सूचीबद्ध कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एन.टी.ए द्वारा कोई कंप्यूटरीकृत प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है; इस कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा/प्रदर्शन आधारित प्रवेश विशेष रूप से संगीत और ललित कला के संकाय द्वारा संचालित किया जाता है (प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शाई जाए)।

3.4 प्रवेश-आधारित प्रवेश के साथ स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु पात्रता और चयन प्रक्रिया

सूची क और सूची ख यथावत होगी, जैसा कि पिछले खंड में निर्दिष्ट किया गया है।

3.4.1 अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यक्रम (प्रोग्राम)।

प्रोग्राम	योग्यता (मेरिट) की गणना के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और विषयों का संयोजन
बी.ए. (ऑनर्स) बिजनेस इकोनॉमिक्स / बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज (बीएमएस) / बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्तीय निवेश विश्लेषण) (बीबीए (एफआईए))	❖ चार विषयों: अंग्रेजी, गणित और सूची बी में शामिल अन्य सभी दो विषय में अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षा में कुल 60% अथवा उससे अधिक अंक। ❖ चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के संयुक्त भारित (वेटेड) औसत और अर्हक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत से गणना की गई रैंक के आधार पर किया जाएगा, जहां भारांक (वेट्स) हैं: ❖ प्रवेश परीक्षाः 65%, अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षाः 35%. ❖ प्रवेश परीक्षा निम्नलिखित क्षेत्रों की जांच करेगी: मात्रात्मक क्षमता तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता सामान्य अंग्रेजी व्यवसाय और सामान्य जागरूकता

3.4.2 क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के माध्यम से प्रस्तावित कार्यक्रम

प्रोग्राम	योग्यता (मेरिट) की गणना के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और विषयों का संयोजन
बी.टेक. (सूचना प्रौद्योगिकी और गणितीय नवाचार)	❖ अर्हता परीक्षा में गणित सहित चार विषयों में कुल 60% प्राप्तांक या अधिक अंक। ❖ प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार चयन/प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

	❖ प्रवेश परीक्षा 10+2 स्तरों की गणित, तर्कशक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यताओं पर आधारित है
बी.ए. ऑनर्स (मानविकी और समाजिक विज्ञान)	❖ अर्हता परीक्षा में चार विषयों में कुल 60% प्राप्तांक या अधिक अंक। ❖ प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार चयन/प्रवेश प्रदान किया जाएगा। ❖ प्रवेश परीक्षा 10+2 के स्तर पर सामान्य जागरूकता, समसामायिक (करंट अफेयर्स), सामान्य ज्ञान, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता पर आधारित होगी। प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे।

3.4.3 शिक्षा संकाय के माध्यम से प्रस्तावित कार्यक्रम

प्रोग्राम	**कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार**
बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बी.एल.एड.)	❖ अर्हक परीक्षा में कुल 50% अथवा उससे अधिक अंक, और "सर्वश्रेष्ठ चार" विषयों में से प्रत्येक में न्यूनतम 50% अंकों के साथ। सर्वश्रेष्ठ चार विषयों में शामिल हो सकते हैं: ❖ अंग्रेजी/हिंदी (कोर अथवा ऐच्छिक) में से एक विषय और निम्नलिखित से तीन अन्य विषय: कोई एक भाषा (10+2 स्तर सी.बी.एस.ई अथवा इसके समकक्ष बोर्ड द्वारा पेश की गई); जीव विज्ञान; भौतिकी; रसायन विज्ञान; गणित; अर्थशास्त्र; इतिहास; राजनीति विज्ञान; भूगोल; समाजशास्त्र; दर्शन; मनोविज्ञान; व्यवसाय अध्ययन (बिजनेस स्टडीज)/ (लेखाविधि) अकाउंटेंसी। अथवा ❖ अंग्रेजी/हिंदी से एक विषय (मुख्य या वैकल्पिक), किसी एक भाषा से दो अन्य विषय (सूची 1 में चुने गए के अलावा, जो सीबीएसई या इसके समकक्ष बोर्ड द्वारा 10+2 स्तर पर प्रस्तावित हो); जीव विज्ञान; भौतिक विज्ञान; रसायन विज्ञान; गणित; अर्थशास्त्र; इतिहास; राजनीति विज्ञान; भूगोल; समाज शास्त्र (सोशियोलॉजी); दर्शन शास्त्र; मनोविज्ञान; बिजनेस स्टडीज / लेखाकर्म (अकाउंटेंसी), और बारहवीं कक्षा में सीबीएसई या इसके समकक्ष बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया कोई अन्य विषय (ऊपर उल्लिखित के अलावा)। ❖ एक साथ "सर्वश्रेष्ठ चार" विषयों हेतु पात्रता के उद्देश्य से दो से अधिक भाषाओं (चाहे मूल या वैकल्पिक) पर विचार नहीं किया जाएगा।

	❖ पात्रता के उद्देश्य से निम्नलिखित में से दो से अधिक विषयों पर एकसाथ विचार नहीं किया जाएगा: वाणिज्य, व्यवसाय अध्ययन, लेखाकर्म, सूचना विज्ञान अभ्यास और कंप्यूटर अनुप्रयोग। ❖ इसके अलावा अभ्यर्थी को दसवीं कक्षा तक अंग्रेजी / हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया होना और उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार चयन / दाखिला किया जाएगा। ❖ प्रवेश परीक्षा में अंग्रेजी और हिंदी में 40 प्रश्न तथा गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक में 20 प्रश्न होंगे। प्रवेश परीक्षा जहाँ भी लागू होगी, वह द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) होगी। कोई वर्णनात्मक प्रश्न नहीं होंगे। प्रश्न एन.सी.ई.आर.टी. के दसवीं कक्षा के अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम से होंगे। ❖ अधिक जानकारी के लिए, अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट http://doe.du.ac.in पर जा सकते हैं

3.4.4. अंतर-अनुशासनात्मक संकाय और व्यावहारिक विज्ञान के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम

प्रोग्राम	कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार
शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल में विज्ञान स्नातक (बीएससी [पीई, एचई और एस])	❖ अर्हता परीक्षा में कुल 45% अथवा अधिक अंक, सूची क से एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ विषयों के साथ। इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए 'सर्वश्रेष्ठ चार' गणना के लिए शारीरिक शिक्षा को सूची ख विषयों के समान माना जाएगा। ❖ चयन/प्रवेश प्रतिशत के संयुक्त भारित औसत पर आधारित होगा, जिसे प्रवेश परीक्षा और खेल दक्षता में स्कोर किया गया है, और जहां भारित औसत निम्नानुसार हैं: ❖ प्रवेश परीक्षा 50% ❖ खेल प्रवीणता पुरस्कार 50% ❖ अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

	❖ सरकारी अस्पताल / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है): (www.dudpess.du.ac.in) ❖ समर्थक प्रमाणपत्रों के साथ उच्चतम खेल उपलब्धि प्रमाणपत्र ❖ स्व-घोषणा प्रमाण पत्रः "मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि मैं किसी विकृति / विकलांगता से पीड़ित नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि संस्थान अथवा किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सक द्वारा की गई चिकित्सा जांच के दौरान यदि उक्त विवरण गलत पाया जाता है, तो मेरा प्रवेश रद्द किया जा सकता है।" ❖ स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और खेल का पाठ्यक्रम (सीबीएसई का बारहवीं कक्षा 2018-19) और प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान http://www.dudpess.du.ac.in और http://www.igipess.du.ac.in पर उपलब्ध है। ❖ नोटः कोविड-19 वैश्विक महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियों के मद्देनजर, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उल्लिखित प्रक्रिया में किसी भी बदलाव के बारे में अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट की नियमित जाँच करें।

3.4.5 इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय के माध्यम से प्रस्तावित कार्यक्रम

प्रोग्राम	**कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार**
मल्टीमीडिया और मास में कला स्नातक (ऑनर्स)	❖ अर्हता परीक्षा में "सर्वश्रेष्ठ चार" (अंग्रेजी में 85% या अधिक अंक सहित) में कुल 75% या अधिक अंक। ❖ मास मीडिया अध्ययनों को "सर्वश्रेष्ठ चार" की गणना के लिए एक अकादमिक विषय के रूप में शामिल किया जा सकता है। ❖ प्रवेश परीक्षा 10+2 के स्तर पर सामान्य जागरूकता, समसामायिक (करंट अफेयर्स), सामान्य ज्ञान, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता पर

	आधारित होगी। प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे। ❖ प्रवेश परीक्षा सामान्य ज्ञान, मीडिया जागरूकता, सामयिक विषय एवं मामले, अंग्रेजी भाषा की समझ और व्याकरणिक तथा विश्लेषणात्मक कौशल पर आधारित होगी।

3.4.6 सामाजिक विज्ञान संकाय के माध्यम से प्रस्तावित कार्यक्रम

प्रोग्राम	**कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार**
पत्रकारिता में पंचवर्षीय एकीकृत कार्यक्रम	❖ सभी पाँच विषयों के आधार पर निर्धारित कुल 50% या अधिक अंक। ❖ प्रवेश परीक्षा सामान्य ज्ञान, मीडिया जागरूकता, सामयिक विषय एवं मामले, अंग्रेजी भाषा की समझ, व्याकरणिक तथा विश्लेषणात्मक कौशल, तार्किक तर्क और बुनियादी गणित कौशल पर आधारित होगी। ❖ प्रवेश परीक्षा द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) होगी। प्रश्न पत्र वही रहेगा। सभी श्रेणियों और श्रेणी-वार सहित मेरिट की एक संयुक्त सूची तैयार की जाएगी। ❖ सत्यापन और प्रवेश के उपरांत छात्रों को मेरिट और पसंद के अनुसार माध्यम आवंटित किया जाएगा।

3.4.7 संगीत और ललित कला संकाय के माध्यम से प्रस्तावित कार्यक्रम

प्रोग्राम	**कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार**
हिंदुस्तानी संगीत में बी.ए. (ऑनर्स): वोकल / इंस्ट्रुमेंटल (सितार / सरोद / गिटार / वायलिन / संतूर); **कर्नाटक संगीत में बी.ए. (ऑनर्स) - वोकल /**	❖ संगीत के अलावा, सूची क से एक भाषा और सूची ख से दो वैकल्पिक विषयों सहित अर्हता परीक्षा में कुल 45% या अधिक अंक। ❖ प्रवेश कड़ाई से व्यावहारिक प्रवेश-परीक्षा पर आधारित होगा (अनुसूची और अतिरिक्त विवरण वेबसाइट पर अधिसूचित किए जाएंगे)। ❖ संगीत को बीए (ऑनर्स) संगीत में प्रवेश के लिए "सर्वश्रेष्ठ चार" गणना के लिए सूची बी विषयों के समकक्ष माना जाएगा।

<table>
<tr><td>इंस्ट्रुमेंटल (वीना / वायलिन)

हिंदुस्तानी संगीत में बी.ए. (ऑनर्स): तालवाद्य (तबला/पखावज)</td><td>❖ जिन उम्मीदवारों ने अर्हक परीक्षा में संगीत को एक विषय के रूप में नहीं लिया है, उन्हें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम तीन साल के लिए संगीत सीखा हुआ होना चाहिए।

अथवा

❖ किसी प्रसिद्ध शिक्षक/गुरु से कम से कम तीन वर्ष तक संगीत सीखा हो। ऐसे अभ्यर्थियों को संबन्धित संस्था/शिक्षक/गुरु, जैसा भी मामला हो, द्वारा जारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

❖ हिंदुस्तानी संगीत में ऑनर्स - वोकल / इंस्ट्रुमेंटल / पर्क्यूशन के साथ स्नातक डिग्री में प्रवेश के लिए पात्रता उपबंध के संबंध में मान्यता प्रदान करने हेतु संस्थानों की सूची निम्नानुसार हैं:

क. भातखंडे संगीत विद्यापीठ (मुख्य शाखा)
ख. गंधर्व महाविद्यालय मंडल (मुख्य शाखा)
ग. प्रयाग संगीत समिति (मुख्य शाखाएं
घ. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (मुख्य शाखा)
ङ. भारतीय विद्या भवन (मुख्य शाखा)
च. भारतीय कला केंद्र, नई दिल्ली
छ. संगीत भारती, नई दिल्ली
ज. त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली
झ. प्राचीन कला केंद्र, चंडीगढ़</td></tr>
<tr><td>प्रोग्राम</td><td>कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार</td></tr>
<tr><td></td><td>❖ कर्नाटक संगीत - स्वर/वाद्य में ऑनर्स के साथ स्नातक डिग्री में प्रवेश हेतु पात्रता नियमों के संबंध में मान्यता प्रदान करने वाले संस्थानों की सूची इस प्रकार है:

संगीत अकादमी, चेन्नई, तमिलनाडु से डिप्लोमा प्रमाणपत्र।
क. तकनीकी बोर्ड, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संगीत में प्रमाणपत्र कार्यक्रम।
ख. संगीत में उच्च / निम्न ग्रेड का प्रमाण पत्र, कर्नाटक सरकार</td></tr>
</table>

	ग. संगीत में उच्च / निम्न ग्रेड का प्रमाण पत्र, कर्नाटक सरकार घ. भारतीय सेवा संघ, पालघाट, केरल द्वारा संगीत में राग संपूर्ण सर्टिफिकेट कोर्स। ❖ अभ्यर्थी यूट्यूब पर अपने सात मिनट के प्रदर्शन का एक वीडियो अपलोड करेंगे, और इसे असूचीबद्ध के रूप में चिह्नित करेंगे। ❖ अपलोड किए गए यूट्यूब वीडियो का लिंक अभ्यर्थियों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर प्रवेश पंजीकरण फॉर्म के साथ जमा किया जाएगा। ❖ अभ्यर्थी को अपना मूल, नॉन-स्टूडियो, गैर-मिश्रित और बिना संपादित वीडियो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा के अलावा केवल एक उपकरण के साथ अपलोड करना होगा। यदि वीडियो रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की गई हो या जाली प्रकृति की पाई जाती है, तो प्रवेश किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा। ❖ संगीत संकाय की प्रवेश समिति ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित करने के लिए अपलोड किए गए वीडियो के मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। ❖ ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय की आरक्षण नीति के मानदंडों का पालन करते हुए, पिछले वर्ष की प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। ❖ संगीत संकाय के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश समिति अभ्यर्थियों के अंतिम चयन हेतु ऑनलाइन साक्षात्कार का आयोजन करेगी। **नोटः कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थितियों को देखते हुए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रदर्शन आधारित परीक्षणों (टेस्ट्स) से संबंधित प्रक्रियाओं और शेड्यूल्ड संबंधी अद्यतन हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट की वेबसाइट नियमित रूप से देखें।**

प्रोग्राम	**कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और चयन का आधार**
बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)	• अर्हता परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी सहित चार विषयों में कुल 50% प्राप्तांक या अधिक अंक।
	• प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार चयन/प्रवेश प्रदान किया जाएगा। • प्रवेश-परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी पर आधारित होगी।
व्यावसायिक चिकित्सा स्नातक (बी.ओ.टी.)	• अर्हता परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी सहित चार विषयों में कुल 50% प्राप्तांक या अधिक अंक। • प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार चयन/प्रवेश प्रदान किया जाएगा। प्रवेश-परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी पर आधारित होगी।
बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स (बी.पी.ओ.)	• अर्हता परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित और अंग्रेजी सहित चार विषयों में कुल 50% प्राप्तांक या अधिक अंक। • प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार चयन/प्रवेश प्रदान किया जाएगा। प्रवेश-परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी पर आधारित होगी।

3.5 प्रवेश परीक्षा आधारित यू.जी. प्रवेश प्रक्रिया

चरण I: यू.जी पोर्टल पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)

उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत उपयोगकर्ता नाम (यूजरनेम) और पासवर्ड बनाने के लिए विश्वविद्यालय यू.जी. प्रवेश पोर्टल का उपयोग कर अपना पंजीकरण फॉर्म भरता है, अपने रुचि के कार्यक्रमों का चयन करता है, और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करता है। *(पंजीकरण कैसे करें, संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नियत समय पर अपलोड किए जाएंगे)*। **उम्मीदवारों को अपना फॉर्म भरने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।** अभ्यर्थियों को एक बार जमा किए गए फॉर्म को संपादित करने और सही करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1. स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।

2. यू.जी. एडमिशन पोर्टल तक पहुँचने के लिए पहली बार किसी भी उपयोगकर्ता को एक वैध ई-मेल आईडी के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है।

3. जिन अभ्यर्थियों के पास वैध ई-मेल आईडी नहीं है, उन्हें आवेदन भरने हेतु आगे बढ़ने से पहले एक ई-मेल आईडी बनानी होगी।

4. उम्मीदवार को इस ई-मेल आईडी संभालकर रखने की जरूरत है, क्योंकि उसे प्रवेश प्रक्रिया के दौरान और प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी पोर्टल पर अपने खाते (अकाउंट) के साथ-साथ भविष्य के सभी पत्राचार हेतु इसकी आवश्यकता होगी।

5. उम्मीदवार जितने चाहें उतने प्रवेश आधारित कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। प्रत्येक प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण शुल्क व्यक्तिगत रूप से लिया जाएगा। यदि कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक कार्यक्रमों के लिए आवेदन करता है और आवेदित कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम मेल खाते हैं, तो विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि, सक्षम अधिकारी उन उम्मीदवारों की पहचान करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो पंजीकरण पोर्टल से कई कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं, यदि इन कार्यक्रमों हेतु परीक्षाएं एक ही दिन होती हैं, तो समान अथवा नजदीकी परीक्षा केंद्र आबंटित किया जा सकता है।

6. कई महाविद्यालयों में कार्यक्रमों चलाया जा रहा है, अथवा प्रवेश परीक्षा एक से अधिक कार्यक्रम को कवर करने वाली प्रवेश परीक्षा के मामले में, उम्मीदवारों को कार्यक्रम और/अथवा महाविद्यालय की वरीयता के अपने क्रम को बताना आवश्यक हैं।

(क) बी.एम.एस/बी.ए. (एच) बी.ई / बी.बी.ए. (एफ.आई.ए) के उम्मीदवारों को महाविद्यालय-प्रोग्राम के सभी विकल्पों को भरना होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए 21 और पुरुष उम्मीदवारों के लिए 17 विकल्प हैं। उम्मीदवारों को अपने सबसे पसंदीदा महाविद्यालय-कार्यक्रम के लिए "1", अगले सबसे पसंदीदा के लिए "2" और इसी तरह से चिह्नित करना चाहिए। **जिस महाविद्यालय-कार्यक्रम में कोई उम्मीदवार प्रवेश नहीं चाहता है, तो उसे "कोई वरीयता नहीं" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। जहां "कोई वरीयता नहीं" का चयन किया जाता है, वह महाविद्यालय-कार्यक्रम उम्मीदवार को प्रदान नहीं किया जाएगा।** यदि किसी महाविद्यालय-कार्यक्रम को वरीयता संख्या के साथ चिह्नित किया जाता है, तो उसे उम्मीदवार को आबंटित किया जा सकता है और उम्मीदवार को महाविद्यालय और कार्यक्रम में भविष्य में किसी भी बदलाव के लिए पात्र होने के क्रम में उस महाविद्यालय-कार्यक्रम में दाखिला लेना आवश्यक होगा।

(ख) बी.ईएल.एड के उम्मीदवारों को महाविद्यालय के सभी आठ विकल्पों को भरना होगा। कार्यक्रम केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवारों को अपने सबसे पसंदीदा महाविद्यालय-कार्यक्रम के लिए "1", अगले सबसे पसंदीदा के लिए "2" और इसी तरह से चिह्नित करना चाहिए। **जिस महाविद्यालय-कार्यक्रम में कोई उम्मीदवार प्रवेश नहीं चाहता है, तो उसे "कोई वरीयता नहीं" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। जहां "कोई वरीयता नहीं" का चयन किया जाता है, वह महाविद्यालय-कार्यक्रम उम्मीदवार को प्रदान नहीं किया जाएगा।** यदि किसी महाविद्यालय-कार्यक्रम को वरीयता संख्या के साथ चिह्नित किया जाता है, तो उसे उम्मीदवार को आबंटित किया जा सकता है और उम्मीदवार को महाविद्यालय और कार्यक्रम में भविष्य में किसी भी बदलाव के लिए पात्र होने के क्रम में उस महाविद्यालय-कार्यक्रम में दाखिला लेना आवश्यक होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वरीयता क्रम को अंतिम रूप देने से पहले **प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित उदार विकल्पों** (विभाग की वेबसाइट http://doe.du.ac.in को देखें) के चयन की जाँच करें।

7. किसी भी ऐसे उम्मीदवार को दाखिला नहीं दिया जाएगा जिसका नाम आबंटन सूची में है, लेकिन जो कार्यक्रम के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है। प्रवेश परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

8. यदि परीक्षा परिणाम लंबित हैं अथवा यदि उम्मीदवार ने पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनः उपस्थित होने के लिए आवेदन किया है, तो वे कार्यक्रम में प्रवेश खुलने तक अपने डैशबोर्ड में लॉगइन करके अंकों को अपडेट करने में सक्षम होगा।

9. दस्तावेजों को अपलोड करने में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। अभ्यर्थियों को उन प्रमाणपत्रों की स्कैन प्रतियों को तैयार रखने की आवश्यकता होगी, जिनके आधार पर वे प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं।

(क) दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र

(ख) बारहवीं कक्षा का प्रमाणपत्र

(ग) सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक आरक्षण प्रमाण पत्र

(घ) संगीत के सापेक्ष प्रवेश हेतु अपलोड की गई क्लिप की लिंक

(ङ) फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या स्कूल पहचान पत्र)

<u>उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर उल्लेखित नाम समान है।</u>

10. प्रमाण पत्र की प्रतियों सहित उनके द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी जानकारी के लिए उम्मीदवार उत्तरदायी होंगे। वे अपने द्वारा अपलोड की गई फाइलों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के लिए भी जिम्मेदार

होंगे। उम्मीदवार अपने फॉर्म और अपलोड किए गए दस्तावेज का पूर्वावलोकन देख सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान इस आधार पर अस्वीकृति से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतें।

चरण II: पंजीकरण शुल्क का भुगतान

पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के बाद ही पंजीकरण फॉर्म जमा माना जाएगा। इस शुल्क का भुगतान केवल उम्मीदवार के डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण शुल्क के भुगतान के लिए उत्पन्न किए गए इस ऑनलाइन लिंक के अलावा कोई विधि उपलब्ध नहीं है। जब उम्मीदवार ने पंजीकरण शुल्क को ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा कर दिया है, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ हेतु भुगतान के लेन-देन आईडी, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग विवरण और लेनदेन की तिथि का रिकॉर्ड रखें। इसके अलावा, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अंतिम क्षणों की गड़बड़ियों से बचने के लिए समय सीमा से पहले प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा करें। प्रत्येक प्रवेश आधारित कार्यक्रम के लिए पंजीकरण शुल्क अलग से लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक यू.आर श्रेणी के अंतर्गत कोई उम्मीदवार बी.एम.एस/बी.ए(एच)बी.ई/बी.बी.ए(एफ.आई.ए) और एफ.वाई.आई.पी.जे का चयन करता है, तो उसे रु. 750 + रु. 750 = रु. 1,500 का भुगतान करना होगा।

चरण III: प्रवेश परीक्षा (लिखित / व्यावहारिक / परीक्षण)

अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीकरण करना होगा, और इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचना के अनुसार उपस्थित होना होगा।

i. बीए (ऑनर्स) बीई / बीएमएस / बीबीए (एफआईए), बीटेक (आईटी एंड एमआई), बीए (एचएसएस), बी.एल.एड, बीएससी (पीई, एचई एंड एस), बीए (एच) एमएमसी और एफवाईआईपीजे बीपीटी, बीओटी के अभ्यर्थियों को एक लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होगी, जैसा कि प्रत्येक पाठ्यक्रम पर लागू होता है, ताकि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार किया जा सके। परीक्षा बहु-वैकल्पिक प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा का आयोजन एनटीए द्वारा किया जाएगा। (प्रवेश परीक्षा के विवरणों हेतु अनुलग्नक देखें)

ii. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विचार करने के लिए, बी.ए. (ऑनर्स) संगीत के अभ्यर्थियों को एक प्रायोगिक प्रवेश परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। इस प्रवेश परीक्षा की कार्य-पद्धति की सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी। हालांकि, उन्हें पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।

iii. बीएससी (पीई, एचई एंड एस) के अभ्यर्थियों को भी लिखित परीक्षा के साथ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विचार करने के लिए खेल-दक्षता का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इस प्रवेश परीक्षा की कार्य-पद्धति की सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी।

एनटीए द्वारा दी गई प्रवेश-परीक्षा की कार्य-पद्धति अनुलग्नक में संलग्न की गई हैं।

चरण IV: परिणाम / मेरिट सूची की घोषणा

प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अभ्यर्थियों की एक रैंकिंग तैयार की जाएगी, जो प्रवेश प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेगी, और प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। यह रैंकिंग निम्नलिखित पर आधारित होगीः

i. बीटेक (आईटी एंड एमआई), बीए (एच एंड एसएस), बी.ईएल.एड., बीए (ऑनर्स) एमएमसी और एफवाईआईपीजे प्रोग्राम, बीपीटी, बीओटी और बीपीओ हेतु प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक।

ii बीए (ऑनर्स) बीई, बीएमएस, बीबीए (एफआईए) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा और कक्षा-बारहवीं (पात्रता के अनुसार) में प्राप्त अंकों का भारित औसत, क्रमशः प्रत्येक को 65% और 35% का भार देते हुए।

iii. बी.एससी. (पीई, एचई एंड एस) कार्यक्रम हेतु लिखित परीक्षा और खेल-दक्षता में प्राप्त अंकों का औसत।

iv. बीए (ऑनर्स) संगीत पाठ्यक्रमों हेतु प्रयोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक।

अंतिम रैंकिंग में रैंक का कोई दोहराव नहीं होगा। रैंक के लिए टाई होने के मामले में, निम्नलिखित टाई-ब्रेकिंग नियम नीचे दिए गए क्रम के अनुसार लागू किया जाएगाः

i. अर्हता परीक्षा में उच्च प्रतिशत प्राप्तांक (एक भाषा सहित कुल मिलाकर सर्वोत्तम-चार विषयों हेतु) वाले अभ्यर्थियों को आवंटन/प्रवेश के लिए प्रथम विचार किया जाएगा।

ii. उच्च प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को आवंटन / प्रवेश के लिए प्रथम विचार किया जाएगा।

iii. अर्हता परीक्षा में उच्च प्रतिशत प्राप्तांक (एक भाषा सहित कुल मिलाकर सर्वोत्तम-पाँच विषयों हेतु) वाले अभ्यर्थियों को आवंटन/प्रवेश के लिए प्रथम विचार किया जाएगा।

iv. पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी (जैसा कि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है), आवंटन/प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

मेरिट लिस्ट और स्थल प्रवेश घोषणाओं से संबंधित दिशानिर्देशों के लिए, यदि कोई हो, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.admission.uod.ac.in) को नियमित आधार पर जाँच करते रहें।

4. अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण

अनारक्षित श्रेणी (यू.आर) सीटों के लिए मेरिट सूची में मेरिट के क्रम में सभी उम्मीदवार शामिल होंगे। किसी को भी इससे बाहर नहीं रखा जाएगा। **दूसरे शब्दों में, अनारक्षित (यू.आर) श्रेणी के लिए मेरिट सूची में एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी/ई.डब्ल्यू.एस उम्मीदवार भी शामिल होंगे, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, यदि वे यू.आर. श्रेणी के लिए योग्यता के मापदंड को पूरा करते हैं।**

किसी भी उम्मीदवार को यू.आर श्रेणी की मेरिट सूची से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि उम्मीदवार एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी/ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी से संबंधित है अथवा उसके तहत आवेदन किया है। ऐसे उम्मीदवार को यू.आर श्रेणी के साथ-साथ आरक्षित श्रेणी के तहत विचार करने का अधिकार है। एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी/ई.डब्ल्यू.एस उम्मीदवारों को बाहर किए बिना मेरिट के क्रम में यू.आर श्रेणी की सीटों पर सख्ती से प्रवेश होगा।

श्रेणी/जाति के आधार पर भेदभाव पूरी तरह से गैरकानूनी है। दिल्ली विश्वविद्यालय इस आधार पर किसी भी उम्मीदवार/विद्यार्थी के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करता है। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सत्यापन प्रमाणपत्र अपने स्वयं के नाम पर प्रस्तुत करने होंगे।

4.1 अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण

- सीटों की कुल संख्या का 22.5% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, जो आवश्यक होने पर परस्पर अदला-बदली किया जा सकता है)।

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सभी सीटों को भरना महाविद्यालय की ओर से एक वैधानिक दायित्व है।

- महाविद्यालय किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को शिक्षा के माध्यम के आधार पर प्रवेश से मना नहीं करेगा। किसी विशेष भाषा के ज्ञान में किसी भी कमी को दूर किया जाना चाहिए; इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपलब्ध अनुदानों का उपयोग करके महाविद्यालय द्वारा समाधानात्मक कक्षाओं की व्यवस्था की जा सकती है।

- ❖ संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उनकी पात्रता और मेरिट निर्धारित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी।

- ❖ यदि 5% छूट देने के बाद भी आरक्षित सीटें रिक्त रहती हैं, तो सभी आरक्षित सीटों को भरने के लिए आवश्यक सीमा तक अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। (एसी संकल्प ए88, दिनांक 14.6.1983) (ईसी संकल्प 157, दिनांक 24.12.2001)। सभी महाविद्यालयों / विभागों के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सभी सीटों को भरना अनिवार्य है। इन मामलों में प्रतिशत की न्यूनतम पात्रता उत्तीर्ण है।

निम्नलिखित को अपेक्षित अनु.जाति/अनु.जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने का प्राधिकार हैः

क) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप कलेक्टर / प्रथम श्रेणी के वजीफा मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

ग) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।

घ) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ङ) प्रशासक / विकास अधिकारी के प्रशासक / सचिव (लक्षद्वीप द्वीपसमूह)।

अभ्यर्थी को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मामले में किसी अन्य व्यक्ति/प्राधिकरण से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का **प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो अभ्यर्थी की जाति / जनजाति को भारत सरकार की संबन्धित अनुसूची में सूचीबद्ध होना चाहिए।**

जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित का उल्लेख होना चाहिएः (क) अभ्यर्थी की जाति/जनजाति का नाम (ख) क्या अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है (ग) अभ्यर्थी के सामान्य निवास स्थान का जिला और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, और (घ) भारत सरकार की संबन्धित अनुसूची, जिसके तहत उसकी जाति/जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुमोदित किया गया है।

यदि अभ्यर्थी के पास पंजीकरण / आवेदन के समय उनका अनुसूचित जाति / अनुसुचित जनजाति/जनजाति प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, तो वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र हेतु आवेदित आवेदन की पावती पर्ची अपलोड कर सकते हैं। हालांकि, प्रवेश के समय, **अभ्यर्थी को वैध मूल रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

हालाँकि, यदि कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी किसी अन्य श्रेणी (उदाहरण के लिए: पीडब्ल्यूबीडी / कर्मचारी के पाल्य आदि) **के तहत प्रवेश चाहता है, तो अभ्यर्थी को उस विशेष श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए।**

नोटः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो खुली मेरिट (अनारक्षित) के तहत प्रवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें आरक्षित कोटा में गणना नहीं की जाएगी, अर्थात 22.5% (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%) में।

4.2 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी, नॉन क्रीमी लेयर, केंद्रीय सूची) के लिए सीटों का आरक्षण

27% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) (नॉन-क्रीमी लेयर, केंद्रीय सूची) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होंगी।

ओ.बी.सी. उम्मीदवार को प्रवेश देते समय महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि जाति ओ.बी.सी की केंद्रीय सूची (ओ.बी.सी. का दर्जा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (वेबसाइट http://ncbc.nic.in/backward classes/index.html पर उपलब्ध) की सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ओ.बी.सी की केंद्रीय सूची (भारत सरकार) के आधार पर निर्धारित किया जाना है) में शामिल हो।

प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की गैर-क्रीमी लेयर स्थिति (डी.ओ.पी.टी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 15.11.1993) में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा जारी गैर-क्रीमी लेयर स्थिति का उल्लेख होना चाहिए।

ओ.बी.सी उम्मीदवार जो 'गैर-क्रीमी लेयर' से संबंधित हैं और **जिनकी जाति केवल ओ.बी.सी की केंद्रीय सूची में दिखाई देती है**, वे ओ.बी.सी. श्रेणी (डी.ओ.पी.टी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/2013-स्था.(आरईएस-I) दिनांक 31 मार्च 2016 के अनुसार उम्मीदवारों की 'गैर-क्रीमी लेयर' स्थिति के संबंध में ओ.बी.सी. श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि) के तहत प्रवेश हेतु विचार करने के लिए पात्र होंगे। गैर-क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र की वैधता **वित्तीय वर्ष 2021-2022 (31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले आकलन वर्ष के लिए) के लिए होगी, जो 31 मार्च, 2021** को अथवा उसके बाद जारी की गई।

यदि अभ्यर्थी के पास पंजीकरण के समय नवीनतम वित्तीय वर्ष 2021-2022 का ओ.बी.सी. नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र नहीं है तो अभ्यर्थी पूर्व में जारी (पुराने) ओ.बी.सी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अथवा ओ.बी.सी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आवेदन की पावती पर्ची अपलोड कर सकता है। हालांकि, प्रवेश के समय, उम्मीदवार को उसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हाल के वित्तीय वर्ष (2021-22) का ओ.बी.सी. नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस अतिरिक्त प्रमाण पत्र में उम्मीदवार के पहले से जारी मूल जाति प्रमाण पत्र का संदर्भ होना चाहिए।

ओ.बी.सी. उम्मीदवारों को उक्त कार्यक्रम के न्यूनतम पात्रता अंकों में 10% की छूट दी जाएगी और प्रवेश प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंकों में 10% की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए किसी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता 40% है, तो ओ.बी.सी श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 36% (अर्थात् 40% माइनस 40% का 10% होगी)।

अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सभी सीटों को भरना महाविद्यालय की ओर से एक वैधानिक दायित्व है।

4.3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए आरक्षण नीति

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) श्रेणी के लिए आरक्षण दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचना (संदर्भ संख्या शैक्ष.I/ई.डब्ल्यू.एस. का आरक्षण/2019/63 दिनांकित 28 मार्च, 2019 का आरक्षण और संदर्भ संख्या शैक्ष.I/ई.डब्ल्यू.एस. का आरक्षण/2019/63 दिनांकित 15 मई, 2019) के अनुसार विश्वविद्यालय के विभागों/केंद्रों/महाविद्यालयों ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में इसके लिए प्रवेश के लिए 10% सीटें आरक्षित की हैं। ऐसे उम्मीदवारों की पात्रता उपर्युक्त अधिसूचनाओं में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजों को परिशिष्ट IV में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करने के अधीन तय की जाएगी।

<u>अस्वीकरण</u>

1. **किसी भी परिस्थिति में आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोई और विस्तार/छूट नहीं दी जाएगी।**
2. **यदि आवेदक को भूलवश अथवा किसी अन्य कारण से हाल ही के वित्त वर्ष (2021-22) ओ.बी.सी गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश दिया जाता है, तो विश्वविद्यालय / विभाग बिना पूर्व सूचना और बिना किसी देयता के प्रवेश रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

5. मानक स्तर की विकलांगता वाले व्यक्तियों हेतु आरक्षण; सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों / विधवाओं के लिए; कश्मीरी प्रवासी; जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति; सिक्किम के नामांकित छात्र; कर्मचारी के पाल्य हेतु आरक्षण।

5.1 मानक स्तर की विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) हेतु सीटों का आरक्षण

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार मानक स्तर की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम पाँच प्रतिशत (5%) सीटें आरक्षित हैं। "मानक स्तर की/बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति" का अर्थ एक ऐसी विशिष्ट विकलांगता से है जो चालीस प्रतिशत (40%) से कम नहीं है, जहाँ विशिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है, और इसमें ऐसे विकलांग व्यक्ति शामिल है, जिसमें विशिष्ट विकलांगता को मापन-योग्य शर्तों के रूप में परिभाषित किया गया है, और जैसा कि सक्षम प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए है कि पूर्ववर्ती विकलांग अधिनियम 1995, जिसके तहत पहले प्रवेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था, अब इसे निरस्त कर दिया गया है।

जब तक कि सीटें भर नहीं जातीं, पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता में और प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में 5% तक की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए किसी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता 40% है, तो पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता 38% (अर्थात 40% में से 5% को घटाकर 38%) होगी।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में उल्लिखित विकलांगों की निम्नलिखित विशिष्ट श्रेणियां [विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 का खंड (जेडसी) देखें] उक्त आरक्षण का लाभ पाने हेतु पात्र हैं।

I. **शारीरिक विकलांगता**

क. लोकोमोटर विकलांगता

1. लोकोमोटर विकलांगता (किसी व्यक्ति की विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता, जो स्वयं और वस्तुओं की गति से जुड़ी होती है, जो मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका-तंत्र या दोनों की गतिविधि के परिणामस्वरूप होती है), में शामिल हैं:
2. "कुष्ठ रोग से ठीक व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति, जो कुष्ठ से ठीक हो गया है, लेकिन पीड़ित है —
   - (i) हाथों या पैरों में संवेदना के नुकसान के साथ-साथ आँख और पलक में संवेदना और पैरेसिस की हानि है, लेकिन विकृति की कोई प्रकट अभिव्यक्ति नहीं है;
   - (ii) प्रकट विकृति और पैरेसिस, लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होने के कारण, उन्हें सामान्य आर्थिक गतिविधि को करने में सक्षम बनाता हो;
   - (iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ उम्रदराज होना, जो उसे कोई भी लाभकारी व्यवसाय करने से रोकता है, और इस प्रकार "कुष्ठ रोग" के होने का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
3. "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक ऐसे समूह से है, जो शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में नुकसान के कारण होता है, और जो आमतौर पर जन्म से पहले, दौरान या जन्म के तुरंत बाद होता है;
4. "बौनापन" का अर्थ एक ऐसी चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति से है, जिसके परिणामस्वरूप एक वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;
5. "मांसपेशीय दुर्विकास" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी के एक ऐसे समूह से है, जो मानव शरीर को चलायमान करने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है, और कई मांसपेशीय दुर्विकास वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और अनुपलब्ध जानकारी सृजित होने के कारण यह उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील हड्डियों की मसल (muscle) कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु द्वारा वर्गीकृत किया जाता है;
6. "एसिड अटैक पीडित" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो हिंसक हमलों के कारण उन पर तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने के कारण विकृत हुआ हो।

ख. दृष्टि बाधिता

7. "अंधापन" का अर्थ उस स्थिति से है जहाँ किसी व्यक्ति को सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति है -
   (i) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति होना; या
   (ii) दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम होना या 10/200 से कम (स्नेलन) बेहतर आंख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या
   (iii) 10 डिग्री से कम के कोण को घटाकर देखने में बाधा का होना।

8. "कम दृष्टि" का अर्थ ऐसी स्थिति से है जहाँ किसी व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति होती है, अर्थात्:

   (i) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक नहीं, या 20/60 से कम 3/60 तक, या 10/200 (स्नेलन) तक बेहतर आँख में, सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ होना; या
   (ii) 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक घटाकर देखने में बाधा का होना।

ग. श्रवण बधिता

9. "बधिर" का अर्थ है दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 70 डीबी सुनवाई हानि वाले व्यक्ति;

10. "सुनने में कठिनाई" का अर्थ है दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण हानि वाले व्यक्ति;

11. "बोलने और भाषा विकलांगता" का अर्थ है एक ऐसी स्थायी विकलांगता जो लैरींगेक्टोमी या स्वरहानि जैसी स्थितियों से उत्पन्न होती है, जो जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से बोलने और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

II. **बौद्धिक अक्षमता**, बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखने, समस्या समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण बाधा की विशेषता वाली ऐसी स्थिति, जिसमें दैनिक, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल की एक श्रृंखला के साथ, निम्नलिखित शामिल हैं-

12. *"सीखने की विशिष्ट अक्षमता"* का अर्थ परिस्थितियों के एक ऐसे विषम-जीन समूह से है, जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को संसाधित करने में बाधा होती है, जो खुद को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती

है। और इसमें अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्केल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक स्वरहानि जैसी स्थितियां भी शामिल हो सकती हैं;

13. *"ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकृति"* का अर्थ एक ऐसे तंत्रिका-विकासात्मक स्थिति से है, जो आम तौर पर जीवन के प्रथम तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों, या व्यवहार से जुड़ी हुई होती है।

III. **मानसिक व्यवहार**

14. *"मानसिक बीमारी"* का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक ऐसा व्यापक विकार, जो कि निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति के दिमाग के रोधित या अधूरे विकास की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता की विशेषता को दर्शाता है।

IV. **विकलांगता के कारण**

(क) पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, जैसे कि–

15. *"मल्टीपल स्केलेरोसिस"* का अर्थ है एक ऐसे सूजन, तंत्रिका तंत्र की बीमारी से है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के आसपास माइलिन शीथ्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता और प्रभावित होती है;

16. "पार्किंसंस रोग" का अर्थ तंत्रिका तंत्र के एक ऐसे प्रगतिशील रोग से है जो कंपन, पेशीय कठोरता, और धीमी गति या अचूक गति से चिह्नित होता है, जो मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है, और जो मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के पतन तथा न्यूरो-ट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़ा होता है।

(ख) रक्त विकार-

17. *"हीमोफीलिया"* का अर्थ एक वंशानुगत बीमारी है, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके पुरुष बच्चों को प्रेषित की जाती है, जो रक्त की

सामान्य थक्का जमने की क्षमता की हानि या न्यूनता की विशेषता होती है, जिसमें एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है;

18. *"थैलेसीमिया"* का अर्थ ऐसे वंशानुगत विकार के एक समूह से है जो हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थित मात्रा को दर्शाता है।

19. *"सिकल सेल रोग"* का अर्थ एक ऐसे हेमोलिटिक विकार से है जो पुरानी एनीमिया, दर्दनाक घटनाओं और संबंधित ऊतक और अंग की क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं को दर्शाता है; "हेमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है, जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन की हानि होती है।

V. **बहु-विकलांगता (उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगों में से एक से अधिक)**

20. बहरापन और अंधापन सहित बहु-विकलांगता, जिसका अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति को सुनने और देखने की अक्षमता एक साथ हो सकती है, जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

21. केंद्र सरकार द्वारा **अधिसूचित कोई अन्य श्रेणी**।

अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल द्वारा जारी एक वैध विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की तस्वीर लगी हो।

5.1.1 दिव्यांगों के संबंध में रियायती / शुल्क की छूट (पी.डब्ल्यू.बी.डी)

क) विश्वविद्यालय के संकायों, विभागों, केंद्रों और संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययन के **विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क और अन्य विश्वविद्यालय शुल्क**, दाखिला शुल्क को छोड़कर, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए सदस्यता और पहचान पत्र शुल्क (विश्वविद्यालय के अध्यादेश X(4) में संशोधन के अनुसार) के भुगतान से छूट दी जाएगी।

ख) **पी.डब्ल्यू.बी.डी उम्मीदवार जो अनारक्षित श्रेणी हेतु कट ऑफ को पूरा करते हैं और अनारक्षित श्रेणी (यू.आर) में प्रवेश लेंगे, वे पी.डब्ल्यू.बी.डी उम्मीदवार के लिए प्रासंगिक शुल्क का भुगतान करेंगे।**

ग) कार्यकारी परिषद के संकल्प संख्या 50 दिनांक 03-11-2012 के अनुसार, विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों / हॉल में रहने वाले शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को प्रतिदेय सावधानी शुल्क और मेस शुल्क को छोड़कर सभी छात्रावास शुल्क और प्रभारों के भुगतान से छूट दी गई है। शारीरिक रूप

से विकलांग व्यक्ति जो विद्यार्थी हैं, उन्हें मेस शुल्क का 50% भुगतान करना होगा और उनकी शेष 50% मेस शुल्क का भुगतान दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। **महाविद्यालयों के विभिन्न छात्रावासों में रहने वाले पी.डब्ल्यू.बी.डी विद्यार्थियों के संबंध में महाविद्यालयों द्वारा इसी प्रकार के मानदंड अपनाए जाने हैं।**

घ) फैलोशिप / वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले पी.डब्ल्यू.बी.डी विद्यार्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन शुल्क / प्रभार / मेस शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी। **महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले सभी एस.सी/एस.टी, ओ.बी.सी, ई.डब्ल्यू.एस, पी.डब्ल्यू.बी.डी के विद्यार्थी जो फैलोशिप के लिए पात्र हैं, वे समय पर प्रोसेसिंग के लिए फरवरी तक अपने छात्रवृत्ति फार्म अपेक्षित कार्यालय में जमा कर दें।**

फैलोशिप का मूल्य	**शुल्क माफी में छूट आदि**
3000/- प्रति माह तक	शुल्क माफी + 50% मेस सब्सिडी
3001 से 8000/- प्रति माह	शुल्क माफी पर कोई मेस सब्सिडी नहीं
8001 और उससे अधिक प्रति माह	कोई शुल्क माफी नहीं और कोई छात्रावास सब्सिडी नहीं

दिनांक 01.06.2021 के बाद जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी किए गए राजपत्र अधिसूचना संख्या 1736 (ई) दिनांक 05.05.2021 के अनुसार होना चाहिए और यू.डी.आई.डी. पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाना चाहिए। हालांकि, दिनांक 01.06.2021 से पहले जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और और दिल्ली विश्वविद्यालय के मौजूदा लागू नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

5.2 सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए आरक्षण (सीडब्ल्यू)

1. सभी महाविद्यालयों में कार्यक्रम-वार इस श्रेणी के अंतर्गत अभ्यर्थियों हेतु कुल सीटों का पाँच प्रतिशत (5%) आरक्षित है।

2. ऐसे सभी अभ्यर्थियों को उचित लेटरहेड पर **निम्नलिखित में से किसी भी सक्षम प्राधिकारी** द्वारा जारी किए गए शैक्षिक रियायत प्रमाणपत्र (**परिशिष्ट VI में दिए गए प्रारूप** के अनुसार) को अपलोड करना होगाः

   (क) सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली।

   (ख) सचिव, राज्य जिला सैनिक बोर्ड।

   (ग) प्रभारी अधिकारी, रिकार्ड कार्यालय।

   (घ) प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट।

(ङ) गृह मंत्रालय (वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए)

किसी अन्य प्रारूप की अनुमति नहीं होगी। माता-पिता अथवा आश्रित के आई.डी. कार्ड, चिकित्सा कार्ड, राशन कार्ड, सी.एस.डी. कार्ड इत्यादि के रूप में सी.डब्ल्यू. श्रेणी के प्रमाण सही प्रारूप में प्रमाण पत्र के बदले स्वीकार्य नहीं हैं। प्रमाण पत्र में प्राथमिकता का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। जिन प्रमाणपत्रों में संबंधित प्राथमिकता का उल्लेख नहीं है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सशस्त्र बलों (**IX को प्राथमिकता**) के कार्मिकों के बच्चों / विधवाओं को प्रवेश दिया जा सकता है जिसमें निम्नलिखित वरीयता क्रम में अर्धसैनिक कार्मिक (**केवल प्राथमिकता I से V**) शामिल हैं:

वरीयता I	युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त रक्षा कर्मियों की विधवाएं/पाल्य;
वरीयता II	युद्ध के दौरान कार्रवाई में शारीरिक निःशक्तता और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के चलते सेवा से बाहर हुए रक्षा कर्मियों के पाल्य;
वरीयता III	रक्षा कर्मियों की विधवाएँ/पाल्य, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई और मृत्यु सैन्य सेवा के कारण हुई हो;
वरीयता IV	सैन्य सेवा के कारण सेवा में शारीरिक निःशक्तता और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के चलते सेवा से बाहर हुए रक्षा कर्मियों के पाल्य;
वरीयता V	वीरता पुरस्कार प्राप्त किए पुलिस बलों के कर्मियों सहित भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत कर्मियों के पाल्य; i. परमवीर चक्र ii. अशोक चक्र iii. महावीर चक्र iv. कीर्ति चक्र v. वीर चक्र vi. शौर्य चक्र vii. अग्निशमन सेवा कर्मियों के लिए वीरता हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक/राष्ट्रपति वीरता पदक viii. सेना पदक (वीरता), नौ सेना पदक (वीरता), वायु सेना पदक (वीरता) ix. प्रेषण में उल्लेख x. अग्निशमन सेवा हेतु वीरता के लिए पुलिस पदक/वीरता पदक
वरीयता VI	भूतपूर्व सैनिकों का वार्ड।

वरीयता VII   की पत्नियाँ:

i. युद्ध के दौरान कार्रवाई में शारीरिक निःशक्त हुए और सेवा से बाहर हुए रक्षा कर्मी।
ii. सैन्य सेवा में शारीरिक निःशक्त हुए और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के चलते सेवा से बाहर हुए रक्षा कर्मी
iii. वीरता पुरस्कार प्राप्त किए पुलिस बलों के कर्मियों सहित भूतपूर्व सैनिक और सेवारत कर्मी।

वरीयता VIII   सेवारत कर्मियों के पाल्य

वरीयता IX   सेवारत कर्मियों की पत्नियाँ

5.3 कश्मीरी प्रवासियों (के.एम) (अधिसंख्य सीटों) का आरक्षण

1. कश्मीरी प्रवासियों के सभी बच्चे (पुत्र/पुत्रियों), जो विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक-पूर्व कार्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित शेड्यूल के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

2. कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों (वार्डों) के लिए सभी महाविद्यालयों में 5% तक सीटें आरक्षित हैं।

3. कश्मीरी प्रवासियों के सभी वार्डों को संभागीय (डिवीजनल) कमिश्नर/राहत कमिश्नर द्वारा जारी कश्मीरी प्रवासियों के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। कश्मीरी प्रवासियों के वार्डों का प्रवेश महाविद्यालयों द्वारा घोषित किए जाने वाले कट-ऑफ के आधार पर किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित पिछले कट-ऑफ अंकों में अधिकतम 10% की छूट। उम्मीदवारों को कश्मीरी प्रवासियों तक बढ़ाया जाएगा। इस श्रेणी के तहत उन कार्यक्रमों में आरक्षण उपलब्ध नहीं है जहाँ दाखिला प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित है।

5.4 जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना

जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को सीधे महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। इस श्रेणी के तहत उन कार्यक्रमों में आरक्षण उपलब्ध नहीं है दाखिला प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित किए जाने वाले शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

5.5 सिक्किम-विद्यार्थियों के लिए सीटों का नामांकन

सिक्किम सरकार द्वारा नामित सिक्किमी विद्यार्थियों को उन महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा जहाँ छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध हैं (ए.सी. संकल्प 51 दिनांक 05/06/1980 और 122 दिनांक 17/12/1990)। सिक्किम के विद्यार्थियों को प्रवेश के साथ-साथ संबंधित महाविलयों में छात्रावास आवास के लिए आबंटन कुलपति द्वारा अपने विवेक से किया जाए। **इस श्रेणी के तहत उन कार्यक्रमों में आरक्षण उपलब्ध नहीं है जहाँ दाखिला प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित किए जाने वाले शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।**

इन नामित सीटों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रोग्राम	**सीट**
बी.ए. (प्रोग्राम)	3
बी.ए. (ऑनर्स)	1
बी.कॉम.	4
बी.कॉम. (ऑनर्स)	2
बी.एससी. फिजिकल साइंस / एप्लाइड फिजिकल साइंस	2
बी.एससी. लाइफ साइंस / एप्लाइड लाइफ साइंस	2
कुल	14

5.6 डी.यू. वार्ड कोटे के लिए सीटें

विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालय के दोनों शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बच्चों का दाखिला एकाडेमिक परिषद संकल्प 9 ए और बी, दिनांक 27.11.2020 के अनुसार किया जाएगा।

6 पाठ्येतर गतिविधियां (ई.सी.ए.) और खेल कोटा

1. महाविद्यालयों को खेल सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और सभी विद्यार्थियों को अंतर-कक्षीय प्रतियोगिताओं और बड़े पैमाने पर खेलों की शुरूआत करके खेल और पाठ्येतर गतिविधियों (ई.सी.ए.) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ई.सी.ए. और खेल के लिए कम से कम 1% (महाविद्यालय की कुल विद्यार्थी क्षमता का) का प्रतिनिधित्व सभी महाविद्यालयों के लिए अनिवार्य है, जो ई.सी.ए और खेल के लिए कुल 5% (महाविद्यालय की कुल विद्यार्थी क्षमता) की अधिकतम सीमा के अधीन है।

2. ई.सी.ए. और खेल के आधार पर भरी जाने वाली सीटों की वास्तविक संख्या उपलब्ध सुविधाओं, महाविद्यालयों की आवश्यकता और अन्य संबंधित कारकों को देखते हुए तय की जाती है।

3. ई.सी.ए. और खेल के आधार पर प्रवेश उन कार्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहाँ प्रवेश दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है।

4. ई.सी.ए. और खेल के आधार पर उम्मीदवार को प्रोग्राम और महाविद्यालय का आबंटन विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीकृत तरीके से किया जाएगा। कार्यक्रम (विषयवार) की कोई रोक नहीं होगी।

5. ई.सी.ए. और खेल के शेड्यूल और सीटों की उपलब्धता के बारे में अतिरिक्त जानकारी डी.यू. की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी।

ई.सी.ए और खेल के आधार पर प्रवेश लेने के लिए झूठे/फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने वाले उम्मीदवार को तीन वर्ष के लिए किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित किया जाएगा। ऐसे दाखिले निरस्त कर दिए जाएँगे और एफ.आई.आर भी दर्ज होगी।

6.1 ईसीए कोटा

कोविड-19 महामारी और अभूतपूर्व स्थिति और प्रचलित सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों के कारण ई.सी.ए. कोटे के तहत यू.जी. मेरिट आधारित प्रवेश ऑनलाइन/ऑफलाइन ट्रायल्स के संचालन के बिना होगा।

1. महाविद्यालयों को सभी विद्यार्थियों को अंतर-कक्षीय प्रतियोगिताओं को शुरूआत करके और आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करके पाठ्येतर गतिविधियों (ई.सी.ए) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ई.सी.ए. और खेल के लिए कम से कम 1% (महाविद्यालय की कुल विद्यार्थी क्षमता का) का प्रतिनिधित्व सभी महाविद्यालयों के लिए अनिवार्य है, जो ई.सी.ए. और खेल के लिए कुल 5% (महाविद्यालय की कुल विद्यार्थी क्षमता) की अधिकतम सीमा के अधीन है।

2. ई.सी.ए. को आबंटित की जाने वाली सीटों की कुल संख्या उपलब्ध सुविधाओं, महाविद्यालयों की आवश्यकता और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर तय की जाती है।

3. ई.सी.ए. कोटा के तहत यू.जी. कार्यक्रमों में प्रवेश केवल मेरिट आधारित कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध है और उन कार्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहाँ दाखिला प्रवेश परीक्षा पर आधारित है।

4. ई.सी.ए. कोटे के तहत दाखिला (एडमिशन) लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को दिल्ली विश्वविद्यालय यू.जी. एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक होता है।

5. ई.सी.ए. के आधार पर उम्मीदवार को कार्यक्रम और महाविद्यालय का आबंटन विश्वविद्यालय द्वारा एक केंद्रीकृत ई.सी.ए. मेरिट सूची के माध्यम से और आवेदक द्वारा दर्शाए गए महाविद्यालयों और कार्यक्रमों की वरीयताओं के आधार पर किया जाएगा। यह आबंटन केंद्रीकृत ई.सी.ए. मेरिट सूची, कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड, कार्यक्रम की उपलब्धता और महाविद्यालय में ई.सी.ए. कोटा/उप-कोटा के क्रम में आवेदक के रैंक के आधार पर किया जाएगा।

6. स्नातक-पूर्व दाखिला 2021-2022 के लिए ई.सी.ए प्रवेश और ई.सी.ए सीट मैट्रिक्स के शेड्यूल के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय दाखिला (एडमिशन) वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ई.सी.ए कोटे के तहत प्रवेश के लिए आगे के दिशा-निर्देशों और दाखिला संबंधी अन्य जानकारी के लिए डी.यू की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

7. ई.सी.ए. के आधार पर दाखिला लेने के लिए झूठे/फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थी को तीन वर्ष के लिए किसी भी महाविद्यालय में दाखिला लेने से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में दाखिले निरस्त किए जाएंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

पाठ्येतर गतिविधियों (ई.सी.ए) के आधार पर दाखिला हेतु दिशानिर्देश

- ई.सी.ए. कोटे के माध्यम से 14 श्रेणियों में दाखिला (एडमिशन) किया जाएगा।
- ईसीए कोटे के तहत दाखिला महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न निम्नलिखित श्रेणियों और उप-श्रेणियों में प्रदान की जाने वाली सीटों के अधीन किया जाएगा:

क्र.सं.	श्रेणी	उप-श्रेणी	उप-श्रेणी
1	रचनात्मक लेखन	1a	रचनात्मक लेखन (हिंदी)
		1b	रचनात्मक लेखन (अंग्रेजी)
2	नृत्य	2a	नृत्य: भारतीय शास्त्रीय
		2b	नृत्य: भारतीय शास्त्रीय
		2c	नृत्य: भारतीय फोल्क
		2d	नृत्य: पश्चिमी (वेस्टर्न)
3	डिबेट	3a	डिबेटः हिंदी
		3b	डिबेटः अंग्रेजी
4	डिजिटल मीडिया	4a	डिजिटल मीडियाः फोटोग्राफी
		4b	डिजिटल मीडियाः फिल्म मेकिंग
		4c	डिजिटल मीडियाः एनीमेशन
5	फाइन आर्ट्स	5a	फाइन आर्ट्स: स्कैचिंग और पेंटिंग
		5b	फाइन आर्ट्स: मूर्तिकला (Sculpture)
6	संगीत (वोकल)	6a	संगीत (वोकल): भारतीय
		6b	संगीत (वोकल): वेस्टर्न
7	संगीत (वाद्य यंत्र: भारतीय)	7a	संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) तबला
		7b	संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) मृदंगम
		7c	संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) ढोलक
		7d	संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) पखावाज

		7e	संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) घातम
		7f	संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) हरमोनियम
		7g	संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) बांसुरी
		7h	संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) सितार
		7i	संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) वायलिन
		7j	संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) सरोद
		7k	संगीत (वाद्य यंत्रः भारतीय) संतूर
8	**संगीत (वाद्य यंत्र: वेस्टर्न)**	8a	संगीत (वाद्य यंत्रः वेस्टर्न) ड्रम
		8b	संगीत (वाद्य यंत्रः वेस्टर्न) वेस्टर्न फ्लट (Flute)
		8c	संगीत (वाद्य यंत्रः वेस्टर्न) सैक्सोफोन
		8d	संगीत (वाद्य यंत्रः वेस्टर्न) गिटार (लीड)
		8e	संगीत (वाद्य यंत्रः वेस्टर्न) गिटार (बैस)
		8f	संगीत (वाद्य यंत्रः वेस्टर्न) वायलिन
		8g	संगीत (वाद्य यंत्रः वेस्टर्न) कीबोर्ड
9	**थियेटर**	9e	थियेटर
10	**प्रश्नोत्तरी (क्विज)**	10	प्रश्नोत्तरी (क्विज)
11	**डिविनिटी***	11	डिविनिटी
12	**एनसीसी**	12	एनसीसी

13	**एनएसएस**	13	एनएसएस
14	**योगा**	14	योगा
*केवल सिख अल्पसंख्यक महाविद्यालयों हेतु मान्य			

<u>महत्वपूर्ण नोट: इन श्रेणियों और उप-श्रेणियों में प्रवेश संबंधित महाविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली सीटों के शर्तों के अधीन है।</u>

- विश्वविद्यालय उन ई.सी.ए. श्रेणियों/उप-श्रेणियों के तहत दाखिला हेतु उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार नहीं करेगा, जिनके लिए किसी भी महाविद्यालय द्वारा सीटें नहीं दी जाती हैं।
- उम्मीदवार अधिकतम तीन ई.सी.ए. श्रेणियों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
- (यू.आर/ओ.बी.सी/एस.सी/एस.टी/पी.डब्ल्यू.बी.डी/ई.डब्ल्यू.एस) पंजीकरण के लिए शुल्क के अलावा ई.सी.ए. कोटे के तहत आवेदन करने के लिए 100 रुपये का अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क होगा।
- ई.सी.ए. के तहत दाखिले उम्मीदवारों के मेरिट/भागीदारी प्रमाण पत्र के आधार पर किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न असाधारण स्थिति के कारण, इस वर्ष उम्मीदवारों को पिछले चार वर्षों के प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनुमति है। (केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए)। उम्मीदवारों को पिछले चार वर्षों (1 मई, 2017 - 30 अप्रैल, 2021) के अधिकतम सर्वश्रेष्ठ पांच प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे।
- अनदिनांकित प्रमाण पत्र, लेटरहेड पर प्रमाण पत्र और आंशिक रूप से अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों को किसी भी परिस्थिति में चिह्नित करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
- एक प्रमाण पत्र एक से अधिक बार अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। उम्मीदवार किसी ईवेंट के लिए केवल एक बार अंक का दावा कर सकता है।
- उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की संवीक्षा की जाएगी और अधिकतम 100 अंकों में से मूल्यांकन किया जाएगा। केवल अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों (एन.सी.सी. और एन.एस.एस. को छोड़कर) में 20 अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ई.सी.ए. के आधार पर प्रवेश की अंतिम मेरिट सूची के लिए पात्र होंगे। ई.सी.ए. कोटे के तहत अंक उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए तीन सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्रों (अपलोड किए गए पाँच में से) में दिए गए कुल अंकों के आधार पर दिए जाएँगे।
- ई.सी.ए. मेरिट सूची में आने वाले उम्मीदवार का नाम किसी महाविद्यालय और प्रोग्राम में दाखिला (एडमिशन) की गारंटी नहीं देता। उम्मीदवार का दाखिला कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंडों की पूर्ति,

महाविद्यालय में ई.सी.ए. कोटा के तहत कार्यक्रम और सीटों की उपलब्धता और मेरिट सूची के क्रम में रैंक के अधीन होता है।

- ई.सी.ए. मेरिट सूची में आने वाले उम्मीदवार का नाम किसी महाविद्यालय और प्रोग्राम में दाखिला (एडमिशन) की गारंटी नहीं देता। उम्मीदवार का दाखिला कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंडों की पूर्ति, महाविद्यालय में ई.सी.ए. कोटा के तहत कार्यक्रम और सीटों की उपलब्धता और मेरिट सूची के क्रम में रैंक के अधीन होता है।
- ई.सी.ए. कोटे के तहत सभी दाखिला प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की फॉरेंसिक जाँच की जाएगी।
- अंतिम प्रासंगिक कट-ऑफ से अनारक्षित कोटे के उम्मीदवारों की तुलना में शैक्षणिक योग्यता में 15% से अधिक रियायत कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंडों के अधीन एक विशिष्ट कार्यक्रम में दाखिला के लिए नहीं दी जाएगी। प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा विशिष्ट रियायत घोषित की जाएगी।
- महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए ई.सी.ए. के तहत दाखिला हेतु प्रत्येक कोटा और उप कोटा में अपनी आवश्यकता प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।

मेरिट / भागीदारी ईसीए प्रमाणपत्रों की मार्किंग हेतु मानदंड

क्र.सं.	**कोटा**	**अधिकतम अंक**
1.	प्रतियोगिता में भागीदारी/पुरस्कार	44
2.	प्रशिक्षण/परीक्षाएँ	28
3.	कार्यशालाएँ	16
4.	प्रदर्शन / प्रकाशित कार्य / प्रदर्शनी (सार्वजनिक)	12
	कुल अंक	100

क) प्रतियोगिताओं में भागीदारी / पुरस्कार:

प्रमाणपत्रों के लिए अधिकतम अंक - 40; सतत गतिविधि के लिए अंक - 4**

क्र.सं.	स्तर	अधिकतम अंक			
		प्रथम पुरस्कार	दूसरा पुरस्कार	तीसरा पुरस्कार	सहभागिता
1.	अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय	24	20	16	12
2.	राज्य	20	16	12	8

3.	जोनल / इंटर स्कूल	16	12	8	0
4.	इंटर स्कूल	12	8	4	0

- उपर्युक्त अंक एकल प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाएँगे। एक समूह गतिविधि के लिए, प्रत्येक समूह गतिविधि के लिए उपर्युक्त अंकों से 4 अंक काटे जाएंगे।
- यदि किसी भी उम्मीदवार के लिए कुल अंक इस कोटे के लिए 40 से अधिक है, तो उसे निरंतर गतिविधि के लिए 4 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
- <u>नोटः</u> सहभागिता / पुरस्कारों में "अंतरराष्ट्रीय स्तर" पर विचार किया जा सकता है यदि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय आयोजन में भाग लिया है और या तो पूर्व राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से स्क्रीन किया गया है या चयन प्रक्रिया के माध्यम से किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा प्रायोजित किया गया है।
- अन्य राज्यों अथवा देशों के विद्यालयों की भागीदारी वाले विद्यालयों द्वारा आयोजित अंतर्विद्यालय कार्यक्रमों को अंतर्विद्यालय स्तर पर माना जाएगा, न कि राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर।
-
- जब तक उपर्युक्त सभी मानदंड पूरे नहीं हो जाते, तब तक भारत में भी एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन किया जा सकता है।

ख) प्रशिक्षण / परीक्षा

प्रमाणपत्रों के लिए अधिकतम अंक - 24; सतत कार्यकलाप के लिए अंक - 4**

क्र. सं.	स्तर	अधिकतम अंक			
		2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	>4 वर्ष
1.	गुरु / उस्ताद / संस्था के अधीन प्रशिक्षण	8	12	16	20
2.	उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ परीक्षा	8	12	16	20

- यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है (उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र ने हिंदुस्तानी गायन के साथ-साथ कर्नाटक गायन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है), तो प्रत्येक प्रशिक्षण गतिविधि के लिए मार्किंग की एक ही योजना का पालन किया जाएगा, और अंक जोड़े जाएंगे।

- परीक्षा प्रमाणपत्रों के मूल्यांकन के लिए, परीक्षा की उस विशेष प्रणाली में छात्र द्वारा उच्चतम स्तर पर उत्तीर्ण परीक्षा पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र के पास दूसरे वर्ष के साथ-साथ तीसरे वर्ष का गंधर्व प्रमाण पत्र है, तो केवल तीसरे वर्ष के परीक्षा प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा।
- कोटा (परीक्षा अनुभाग) के तहत अंकों के लिए सीसीआरटी छात्रवृत्ति प्रमाणपत्र/अवार्ड्स पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, सीसीआरटी छात्रवृत्ति सीसीआरटी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए।
- यदि इस कोटे के लिए किसी अभ्यर्थी के कुल अंक 24 से अधिक हैं, तो उसे निरंतर गतिविधि के लिए 4 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

ग) कार्यशालाएँ:

प्रमाणपत्रों के लिए अधिकतम अंक - 12; सतत कार्यकलाप के लिए अंक - 4**

क्र.सं.	कार्यशाला अवधि	अधिकतम अंक
1.	1 सप्ताह से कम	4
2.	1 सप्ताह से 1 माह (30 दिन)	8
3.	30 दिनों से अधिक	12

- यदि इस कोटे हेतु किसी भी अभ्यर्थी के कुल अंक 12 से अधिक होते हैं**,** तो उसे निरंतर गतिविधि हेतु 4 अतिरिक्त अंक दिए जाएँगे।

घ) सार्वजनिक प्रदर्शन / प्रकाशित कार्य / प्रदर्शनी (सार्वजनिक):

अधिकतम अंक - 12 (उम्मीदवार द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर)

i) संगीत (गायन (वोकल) / वाद्य) - सोलो / बैंड / समूह / वृन्दगान (Choir)

ii) नृत्य (शास्त्रीय/लोक/पश्चिमी) - एकल/समूह (अरंगेत्रम जैसे एकल सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु - प्रदर्शन स्थल के प्रबंधन द्वारा जारी ब्रोशर और/या फ़्लायर, समाचार पत्र नोटिस/कतरनों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है)

iii) कोरियोग्राफी - सोलो / ग्रुप शो

iv) रंगमंच (थिएटर) - सोलो / समूह

v) फाइन आर्ट्स -प्रदर्शनी

vi) मीडियाः

क) फिल्म मेकिंग- फिल्म क्रेडिट्स में स्वीकार किया गया

ख) एनीमेशन - फिल्म क्रेडिट्स में स्वीकार किया गया

ग) फोटोग्राफी-प्रदर्शनी

vii) रचनात्मक लेखन - प्रकाशित कार्य (सार्वजनिक प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया पर विचार किया जाएगा)।

- यदि किसी अभ्यर्थी ने सार्वजनिक प्रदर्शन/प्रदर्शनी या प्रकाशित कार्य किया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस कोटे के तहत 12 अंक दिये जाएंगे। प्रत्येक सार्वजनिक प्रदर्शन/प्रदर्शनी या प्रकाशित कार्य के लिए उसे 4 अंक दिये जाएंगे। कविताओं/लघु कथाओं/उपन्यास/नाटकों के एकल लेखन संग्रह के लिए 4 अंक आवंटित किए जाएंगे। किसी एक संकलन में एक कविता या कविताएँ/कहानी या कहानियों/नाटक या नाटकों में से प्रत्येक के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे।

- इस कोटे के तहत निरंतर गतिविधि हेतु कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे।

****निरंतर गतिविधि का अर्थ है पुरस्कार/प्रमाणपत्र प्राप्ति उपरांत उसी गतिविधि को जारी रखना।**

- **चर्चा (डिबेट)**:

क) अभ्यर्थी केवल एक बार ही किसी कार्यक्रम के लिए अंक का दावा कर सकता है। एक ही प्रकार के आयोजन हेतु दो प्रमाणपत्रों में से, उच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रमाणपत्र को गणना के उद्देश्य से विचार किया जाएगा।

ख) प्रारंभिक दौर के लिए प्राप्त प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। पूर्ण तर्क-वितर्क, अंतिम दौर में भाग लेने पर ही विचार किया जाएगा।

- **नृत्य (भारतीय शास्त्रीय / भारतीय फोल्क / वेस्टर्न / कोरियोग्राफी):**

क) केवल उस फॉर्म से संबंधित प्रमाण पत्र, जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, पर विचार किया जाएगा।

ख) सहभागिता प्रमाणपत्रों में स्पष्ट रूप से कोटा/उप-कोटा और प्रदर्शन के स्तर (एकल और समूह) का उल्लेख होना चाहिए।

- **संगीत (इंडियन वोकल/वेस्टर्न वोकल):** सहभागिता प्रमाणपत्रों में स्पष्ट रूप से कोटा/उप-कोटा और प्रदर्शन के स्तर (एकल और समूह) का उल्लेख होना चाहिए।

- **संगीत (वाद्य भारतीय / वेस्टर्न):**

केवल उस वाद्ययंत्र से संबंधित प्रमाणपत्र, जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, पर विचार किया जाएगा।

- **डिजिटल मीडिया (फिल्म मेकिंग और एनिमेशन):** यूट्यूब अपलोड्स, और अन्य गैर-समकक्ष समीक्षात्मक वीडियो स्ट्रीमिंग साइटों पर अपलोड्स को मार्किंग हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

- **योगाः** अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में सहभागिता को मार्किंग हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

- **डिविनिटी (धर्मशास्त्र)**

क) केवल सिख अल्पसंख्यक कॉलेजों के लिए लागू

i) श्री गुरु तेगबहादुर खालसा

ii) श्री गुरु नानक देव खालसा

iii) माता सुंदरी कॉलेज फॉर वॉमेन

iv) श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स

ख) मार्किंग हेतु गुरबानी में उद्बोधन प्रतियोगिता, आदि ग्रंथ और दसम ग्रंथ से शब्द-गुरबानी, गुरु ग्रंथ साहिब और दशम ग्रंथ से पाठ का अनुवाचन, और गायन के साथ धार्मिक/ऐतिहासिक कहानी कहने वाली ढाड़ी परंपरा से संबंधित प्रमाण पत्र पर विचार किया जा सकता है।

- **राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी)**

1. कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न असाधारण स्थिति के कारण, इस वर्ष अभ्यर्थियों को पिछले चार वर्षों के प्रमाणपत्र (केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 हेतु) अपलोड करने की अनुमति है। अभ्यर्थियों को पिछले चार वर्षों के अधिकतम पांच सर्वश्रेष्ठ एनसीसी प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे, अर्थात 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2021 तक।

2. बिना तिथि वाले और एनसीसी इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर नहीं होने वाले प्रमाणपत्रों को मार्किंग हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

3. यदि उक्त परीक्षा के परिणाम का उल्लेख प्रमाणपत्र में नहीं है तो 'क' और 'ख' प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के लिए जारी अनंतिम प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. 'क' और 'ख' प्रमाणपत्र परीक्षा हेतु स्कूल या एएनओ द्वारा प्रदान किए गए अनंतिम प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी और अधिकतम 100 अंकों में से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ईसीए के आधार पर प्रवेश के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को अपलोड किए गए एनसीसी प्रमाणपत्रों की मार्किंग में न्यूनतम 4 अंक प्राप्त करने चाहिए।

अभ्यर्थियों को पाँच अलग-अलग शीर्षों के तहत उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान किए जाएँगे:

क. नियमित गतिविधि

ख. परीक्षा

ग. कैम्प

घ. विशेष शिविर

ङ. आरडी कैंप

प्रत्येक कोटा (सहभागिता) में प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंक नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	कोटा	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक
1.	नियमित गतिविधि-ऑनलाइन*** और ऑफलाइन (सर्वश्रेष्ठ कैडेट / स्वतंत्रता दिवस / आत्मरक्षा / आईडीवाई / सामाजिक जागरूकता, सामुदायिक विकास और प्राकृतिक आपदा में प्रशंसा प्रमाण पत्र, कोविड-19***/कोई अन्य)	4	8
2.	परीक्षा ए / बी; एडीजी कॉम./ डीजी कॉम.	12	20
3.	कैम्प (शूटिंग कैम्प / एडवेंचर कैम्प / सीएम रैली / पीएम रैली एटीसी / ईबीएसबी/ सीएटीसी/ ट्रेकिंग / बीएलसी / एएलसी / आरसीटीसी / प्री-आरडी / प्री-टीएससी / प्री-वीएससी / प्री-एनएससी / एसएनआईसी एटीसी / ईबीएसबी/ सीएटीसी/ कोविड 19***	20	32
4.	विशेष शिविर (टीएससी/वीएससी/एनएससी)	16	16
5.	आरडी शिविर	24	24
	कुल अंक	100	

*****<u>कोविड-19 महामारी के कारण केवल सत्र 2021-2022 हेतु ईसीए-एनसीसी सब कोटा प्रवेश के लिए लागू</u>**

नोटः न्यूनतम अंक एक गतिविधि के लिए हैं, और अधिकतम अंक दो या अधिक गतिविधियों के लिए हैं

- **राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)**

1. कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न असाधारण स्थिति के कारण, इस वर्ष अभ्यर्थियों को पिछले चार वर्षों के प्रमाणपत्र (केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 हेतु) अपलोड करने की अनुमति है। अभ्यर्थियों को पिछले चार वर्षों के अधिकतम पांच सर्वश्रेष्ठ एनएसएस प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे, अर्थात् 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2021 तक।
2. बिना तिथि वाले और एनएसएस के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर नहीं होने वाले प्रमाणपत्रों को मार्किंग हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
3. प्रमाणपत्र अभ्यर्थी को सहभागी हुए गतिविधि में एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में उल्लेखित करता हो।
4. कार्य-दैनंदिनी को हाथ से लिखा नहीं होना चाहिए। कार्य-दैनंदिनी में प्रत्येक पृष्ठ पर कार्यक्रम अधिकारी और प्राचार्य के विधिवत हस्ताक्षर हुए और मुहर लगे होने चाहिए।
5. अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों की जाँच की जाएगी और अधिकतम 100 अंकों में से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ईसीए के आधार पर प्रवेश के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को अपलोड किए गए एनसीसी प्रमाणपत्रों की मार्किंग में न्यूनतम 4 अंक प्राप्त करने चाहिए।

नीचे दिए गए अभ्यर्थियों को पाँच अलग-अलग शीर्षों के तहत उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान किए जाएँगे:

क) नियमित गतिविधि

ख) कार्य के घंटे

ग) राष्ट्रीय शिविर

घ) विशेष शिविर

ङ) प्री-आरडी कैंप

प्रत्येक कोटा (सहभागिता) में प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंक नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	कोटा	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक
1.	नियमित गतिविधि- ऑनलाइन*** और ऑफलाइन (स्वच्छता / वृक्षारोपण / श्रमदान / सड़क सुरक्षा / मतदाता जागरूकता / महिला सुरक्षा / लिंग संवेदीकरण / कोविड-19*** या इसी तरह की कोई सामाजिक जागरूकता गतिविधि)	4	8
2.	कार्य के घंटे (ऑनलाइन**** और ऑफलाइन)	120 घंटों	240 घंटों के

		के लिए 8	लिए 16
3.	राष्ट्रीय शिविर- एसबीएसआई / आरडी / एनएसएस आईजी पुरस्कार / एनवाईएफ / एनआईसी	24	32
4.	विशेष शिविर/कार्य डायरी/कार्य डायरी के साथ विशेष शिविर	20	28
5.	प्री-आरडी कैंप/स्टेट कैंप/कोविड-19 गतिविधियाँ एक महीने से अधिक समय के लिए***	16	16
	कुल अंक	**100**	

*** कोविड-19 महामारी के कारण केवल सत्र 2021-2022 हेतु ईसीए-एनएसएस सब-कोटा प्रवेश के लिए लागू

नोटः न्यूनतम अंक एक गतिविधि के लिए हैं, और अधिकतम अंक दो या अधिक गतिविधियों के लिए हैं।

टाई के मामले में

एक ही ईसीए कोटा के अनुसार ईसीए प्रमाणपत्र में समान अंक हासिल करने वाले, और समान पाठ्यक्रम के साथ उसी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र आवेदकों के मामले को निम्नलिखित क्रम में हल किया जा सकता है:

i) सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा।

ii) यदि अभ्यर्थियों के सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में समान अंक हैं, तो टाई को तोड़ने के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र के अंकों पर विचार किया जाएगा।

iii) यदि अभ्यर्थियों के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में समान अंक हैं, तो टाई को तोड़ने के लिए तीसरे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र के अंकों पर विचार किया जाएगा।

iv) यदि अभ्यर्थियों के तीसरे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में समान अंक हैं, तो टाई को तोड़ने के लिए चौथे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र के अंकों पर विचार किया जाएगा।

v) यदि अभ्यर्थियों के चौथे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में समान अंक हैं, तो टाई को तोड़ने के लिए पाँचवे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र के अंकों पर विचार किया जाएगा।

यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो निम्नलिखित टाई-ब्रेकिंग नियम को यहाँ अपनाया जाएगाः

i) अर्हता/बोर्ड परीक्षा में उच्च प्रतिशत प्राप्तांक (एक भाषा सहित सर्वश्रेष्ठ चार विषयों का कुल मिलाकर) वाले आवेदक को आवंटन/प्रवेश के लिए पहले विचार किया जाएगा।

ii) अर्हता/बोर्ड परीक्षा में उच्च प्रतिशत प्राप्तांक (एक भाषा सहित सर्वश्रेष्ठ पाँच विषयों का कुल मिलाकर) वाले आवेदक को आवंटन/प्रवेश के लिए पहले विचार किया जाएगा।

iii) पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी (जैसा कि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है), आवंटन / प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

यदि टाई की स्थिति बनती है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

- अपलोड किए गए ईसीए प्रमाणपत्रों की मार्किंग से संबंधित शिकायत का निवारण विश्वविद्यालयीन स्नातक ईसीए शिकायत समिति द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालयीन स्नातक ईसीए शिकायत समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- अभ्यर्थी को प्रवेश के समय यह उल्लेख करते हुए एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा, कि अभ्यर्थी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित और विश्वविद्यालय के लिए सांस्कृतिक/एनएसएस/एनसीसी गतिविधियों में भाग लेगा, ऐसा न करने पर महाविद्यालय को प्रवेश रद्द करने का अधिकार है, और यदि महाविद्यालय अध्ययन के स्नातक पाठ्यक्रम की अपनी पूरी अवधि के दौरान इस वचनपत्र का उल्लंघन करता है।

6.2 खेल-कूद (स्पोर्ट्स) कोटा के तहत प्रवेश

कोविड-19 वैश्विक महामारी की अप्रत्याशित स्थिति और लागू किए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के कारण, ईसीए और खेल-कूद के आधार पर प्रवेश बिना किसी परीक्षण के होगा।

1. अंतर-कक्षा प्रतियोगिताओं और सामूहिक खेलों का आयोजन करके महाविद्यालयों को खेल सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए, और सभी छात्रों को खेल और पाठ्येतर गतिविधियों (ईसीए) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ईसीए और खेल के लिए कम से कम 1% (महाविद्यालय की कुल प्रवेश क्षमता का) का प्रतिनिधित्व सभी महाविद्यालयों हेतु अनिवार्य है, जो ईसीए और खेलों के लिए कुल मिलाकर 5% (महाविद्यालय की कुल प्रवेश क्षमता का) की अधिकतम सीमा के अधीन है।
2. ईसीए और खेल के आधार पर भरी जाने वाली सीटों की वास्तविक संख्या उपलब्ध सुविधाओं, महाविद्यालयों की आवश्यकता और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
3. ईसीए और खेल के आधार पर प्रवेश उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है, जहां प्रवेश-परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जाता है।
4. आवेदक को ईसीए एवं खेलकूद के आधार पर पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीकृत तरीके से किया जायेगा। पात्र आवेदक के प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम (विषय-वार) का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
5. ईसीए और खेल कार्यक्रम की अनुसूची तथा सीटों की उपलब्धता के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी।
6. ईसीए और खेल के आधार पर प्रवेश लेने के लिए झूठे / नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदक को तीन साल के लिए किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसे दाखिले रद्द कर दिए जाएंगे और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।

खेल के आधार पर प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश

महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश पोर्टल पर खेल कोटा (वैकल्पिक तौर पर पात्र) के तहत सीटों की कुल संख्या के साथ-साथ पुरुषों / महिलाओं में विभिन्न खेल-कूद की आवश्यकताओं के बारे में सूचित करेंगे, जैसा लागू हो।

खेल के आधार पर प्रवेश खेल प्रवेश सूची के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा, जो केंद्रीकृत खेल अंक प्राप्तांक सूची में प्राप्त अंकों और रैंक के आधार पर, तथा अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र / पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की मार्किंग के क्रम पर और महाविद्यालय में खेल-कूद की उपलब्धता के अधीन महाविद्यालय की प्राथमिकताओं के अनुसार आधारित होगा, जैसा कि आवेदक द्वारा इंगित किया गया हो।

1. खेल के आधार पर प्रवेश पाने के इच्छुक आवेदक को दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है।
2. आवेदक एक खेल हेतु एक पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदक अधिकतम तीन खेलों हेतु पंजीकरण करा सकते हैं।
3. पंजीकरण (अनारक्षित / अपिव / आजा / अजजा / पीडब्ल्यूडी / ईडब्ल्यूएस) हेतु लागू शुल्क के अलावा, प्रत्येक खेल के लिए 100/- रुपये का अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क खेल श्रेणी में लागू होगा।

यहाँ प्रवेश निम्नलिखित के आधार पर होगा:

I. मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र की मार्किंग के मानदंड की श्रेणी क के आधार पर **सीधे प्रवेश**।

II. मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र की मार्किंग के मानदंड की श्रेणी ख, ग और घ के आधार पर प्रवेश।

I. मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र की मार्किंग के मानदंड की श्रेणी क के आधार पर **सीधे प्रवेश**।

युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित निम्नलिखित प्रतियोगिता(ओं) में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को ऐसे खेल हेतु बिन्दु क्रमांक II (बी) पर सीधे प्रवेश दिया जाएगा, जहाँ खेल की आवश्यकता महाविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई है।

क) अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा ओलंपिक खेल
ख) अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ (आईएसएफ) द्वारा विश्व चैम्पियनशिप / विश्व कप
ग) राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) द्वारा राष्ट्रमंडल खेल
घ) एशिया ओलंपिक परिषद (ओसीए) द्वारा एशियाई खेल
ङ) अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों (आईएसएफ) द्वारा एशियाई सीनियर चैंपियनशिप
च) दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद (एसएओसी) द्वारा दक्षिण एशियाई खेल (एसएजी)
छ) अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) द्वारा पैरालंपिक खेल

II. मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र की मार्किंग के मानदंड की श्रेणी ख, ग और घ के आधार पर **प्रवेश**

क. मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र हेतु अधिकतम 100 **अंक**

1. खेल प्रतियोगिताओं के विभिन्न स्तरों के अंकों को प्रदर्शित करने वाले मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र की मार्किंग हेतु मानदंड।

2. आमंत्रण / स्मारक / ओपन / प्राइज मनी लीग / चयन परीक्षण / दस्ते / रैंकिंग प्रतियोगिताओं के खेल प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। खेल प्रतियोगिताओं में मेरिट / भागीदारी के पत्र / लेटरहेड पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
3. आवेदक अधिकतम तीन मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों को अपलोड कर सकते हैं।
4. अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र का मूल्यांकन मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र की मार्किंग के मानदंड के अनुसार किया जाएगा। तथापि, अपलोड किए गए उच्चतम मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र में प्राप्त अंकों को ही केंद्रीकृत खेल अंक प्राप्ति सूची तैयार करने के लिए विचार किया जाएगा।

5. **कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 01 मई 2017 से 30 अप्रैल 2021 तक पूर्ववर्ती चार वर्षों के मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा।**
6. आवेदक की योग्यता का स्तर केवल उन्हीं के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिन्होंने बिंदु संख्या II (ख) पर उल्लिखित खेल में पिछले चार वर्षों के दौरान विशिष्टता हासिल की है।
7. खेल के आधार पर प्रवेश हेतु पात्र होने के लिए आवेदक को अपलोड किए गए मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र की मार्किंग में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने होंगे।

ख. खेलों के आधार पर प्रवेश के लिए विचार किए गए खेल

टीम खेल

बेसबॉल (एम), बास्केटबॉल (एम एंड डब्ल्यू), क्रिकेट (एम एंड डब्ल्यू), फुटबॉल (एम एंड डब्ल्यू), हैंडबॉल (एम एंड डब्ल्यू), हॉकी (एम एंड डब्ल्यू), कबड्डी (एम एंड डब्ल्यू), खो-खो (एम एंड डब्ल्यू), नेटबॉल (डब्ल्यू), सॉफ्टबॉल (डब्ल्यू) और वॉलीबॉल (एम एंड डब्ल्यू)

डुअल और लड़ाकू (कॉम्बैट) खेल

बैडमिंटन (एम एंड डब्ल्यू), बॉक्सिंग (एम एंड डब्ल्यू), जूडो (एम एंड डब्ल्यू), स्क्वैश (एम एंड डब्ल्यू), टेबल टेनिस (एम एंड डब्ल्यू), ताइक्वांडो* (एम एंड डब्ल्यू), टेनिस (एम एंड डब्ल्यू) और कुश्ती** (एम एंड डब्ल्यू)

*क्योरुगी

**फ्रीस्टाइल

व्यक्तिगत खेल

तीरंदाजी*** (एम एंड डब्ल्यू), एथलेटिक्स (एम एंड डब्ल्यू), शतरंज (एम एंड डब्ल्यू), डाइविंग (एम एंड डब्ल्यू), जिमनास्टिक्स (एम एंड डब्ल्यू), शूटिंग**** (एम एंड डब्ल्यू), तैराकी (एम एंड डब्ल्यू) और भारोत्तोलन (एम एंड डब्ल्यू)

***कंपाउंड और रिकर्व

****10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल

नोटः

1. पात्र आवेदक को पाठ्यक्रम का आवंटन, पाठ्यक्रम-विशिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंड की पूर्ति और विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुपालन के अनुरूप होगा।
2. केंद्रीकृत खेल अंक प्राप्ति सूची में आवेदक का नाम का आ जाना, पाठ्यक्रम और महाविद्यालय में प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। आवेदक का प्रवेश उक्त महाविद्यालय में पाठ्यक्रम एवं संबन्धित खेल में सीटों की उपलब्धता की शर्तों के अधीन है।
3. महाविद्यालय की खेल प्रवेश समिति इस प्रकार होगीः
   अध्यक्ष: प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्य नामांकित
   संयोजक: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग
   सदस्य: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग
   नामांकित व्यक्ति: कर्मचारी परिषद का एक संकाय सदस्य
4. महाविद्यालय की खेल प्रवेश समिति में शामिल होंगे:
   आवेदक द्वारा अपलोड किए गए पंजीकरण फॉर्म को स्क्रीन करें
   आवेदक के मूल मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र से आवंटित अंकों के अनुसार आवेदक द्वारा अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र का सत्यापन करें।
5. **टाई होने के मामले में:**
   मूल्यांकन के अनुसार एक ही खेल में अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र में समान अंक हासिल करने वाले, और समान पाठ्यक्रम के साथ उसी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र आवेदकों के मामले को निम्नलिखित क्रम में हल किया जा सकता है:

क) सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए गए मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र में उच्च अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को आवंटन / प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

ख) यदि आवेदकों के सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए गए मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र में समान अंक प्राप्त हैं, तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र पर टाई को तोड़ने हेतु आवंटन/प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

ग) यदि आवेदकों के दूसरे सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए गए मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र में समान अंक प्राप्त हैं, तो तीसरा सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र पर टाई को तोड़ने हेतु आवंटन/प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो प्रवेश आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपनाए गए टाई-ब्रेकिंग नियम को यहाँ निम्नलिखित क्रम में अपनाया जाएगाः

i) अर्हता/बोर्ड परीक्षा में उच्च प्रतिशत प्राप्तांक (एक भाषा सहित सर्वश्रेष्ठ चार विषयों का कुल मिलाकर) वाले आवेदक को आवंटन/प्रवेश के लिए पहले विचार किया जाएगा।
ii) अर्हता/बोर्ड परीक्षा में उच्च प्रतिशत प्राप्तांक (एक भाषा सहित सर्वश्रेष्ठ पाँच विषयों का कुल मिलाकर) वाले आवेदक को आवंटन/प्रवेश के लिए पहले विचार किया जाएगा।
iii) पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी (जैसा कि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है), आवंटन / प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

यदि टाई की स्थिति अभी भी बनी रहती है, तो ऐसे सभी आवेदकों को प्रवेश दिया जा सकता है

6. अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के अंक प्रदान करने से संबंधित शिकायत का निवारण विश्वविद्यालय की स्नातक खेल शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा। शिकायत दर्ज करने के लिए, यदि कोई हो, अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्रों के अंक के साथ आवेदक के डैशबोर्ड पर तीन दिनों के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय की स्नातक खेल शिकायत निवारण समिति द्वारा तीन दिनों के भीतर सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
7. विश्वविद्यालय की स्नातक खेल शिकायत निवारण समिति द्वारा अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र/दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम जांच के अधीन, आवेदक के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किए गए अंक अनंतिम होंगे। विश्वविद्यालय की स्नातक खेल शिकायत निवारण समिति का निर्णय अंतिम होगा।
8. महाविद्यालय को खेल के आधार पर प्रवेश दिए गए आवेदकों के दस्तावेजों का उचित रिकार्ड रखना होगा।
9. खेल के आधार पर अंतिम रूप से प्रवेश दिये गए आवेदकों की सूची (सॉफ्ट कॉपी) विश्वविद्यालय के प्रवेश की अंतिम तिथि के सात दिनों के भीतर महाविद्यालयों द्वारा डीन (प्रवेश) और निदेशक (डीयूएससी) को भेजी जाएगी।
10. एक आवेदक, अपनी उम्र के अनुसार, अगले तीन वर्षों के लिए अंतर-विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु पात्र होना चाहिए, और कहीं भी अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर नियोजित नहीं होना चाहिए।
11. अभ्यर्थी को प्रवेश के समय यह उल्लेख करते हुए एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा, कि अभ्यर्थी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित और विश्वविद्यालय के लिए खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा, और चयन होने पर, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसा न करने पर महाविद्यालय को प्रवेश रद्द करने का अधिकार है, यदि वह महाविद्यालय अध्ययन के स्नातक पाठ्यक्रम की अपनी पूरी अवधि के दौरान इस वचनपत्र का उल्लंघन करता है।

अर्हता / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंकन के लिए मानदंड

श्रेणी	खेल/खेल प्रतियोगिता (ओं) का स्तर	प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी	अधिकतम अंक (100)			
			प्रथम स्थान	दूसरा स्थान	तीसरा स्थान	सहभागिता
क	ओलंपिक खेलों / विश्व चैम्पियनशिप / विश्व कप / राष्ट्रमंडल खेलों / एशियाई खेलों / एशियाई सीनियर चैम्पियनशिप / दक्षिण एशियाई खेल / पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया	युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित आईओसी / आईएसएफ / सीजीएफ / ओसीए / एसएओसी / आईपीसी	**प्रत्यक्ष प्रवेश**			
ख	एशियन जूनियर / यूथ / चैम्पियनशिप / प्रतियोगिता / राष्ट्रीय खेल / फेडरेशन कप / सीनियर नेशनल / नेशनल / इंटर-जोनल नेशनल / नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17/19/खेलो इंडिया स्कूल/यूथ गेम्स अंडर 17/21/ यूथ / जूनियर राष्ट्रीय / सब-जूनियर / क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्थिति और / या भागीदारी	युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) / स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित आईएसएफ / आईओए / एनएसएफ	**100**	**90**	**80**	**70**
ग	राज्य प्रतियोगिता / अंतर-क्षेत्रीय / अंतर-जिला / सीबीएसई राष्ट्रीय / केवीएस	राज्य खेल संघ/राज्य शिक्षा निदेशालय/राज्य	**60**	**50**	**40**	**योग्य नहीं**

	राष्ट्रीय / आईपीएससी राष्ट्रीय / डीएवी राष्ट्रीय / एनवीएस राष्ट्रीय / विद्या भारती राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्थिति	स्कूल बोर्ड				
घ	जिला / जोनल प्रतियोगिता / सीबीएसई क्लस्टर / जोनल, केवीएस / एनवीएस क्षेत्रीय, डीएवी / विद्या भारती जोनल, सुब्रतो कप / स्कूल खेल बोर्ड प्रतियोगिताओं में स्थिति	जिला खेल संघ / जिला / क्षेत्रीय / क्षेत्रीय शिक्षा निदेशालय / जिला स्कूल बोर्ड	**30**	**20**	**10**	**योग्य नहीं**

नोटः

1. आमंत्रण / स्मारक / ओपन / प्राइज मनी लीग / चयन परीक्षण / दस्ते / रैंकिंग प्रतियोगिताओं के खेल प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। खेल प्रतियोगिताओं में मेरिट / भागीदारी के पत्र / लेटरहेड पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
2. कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 01 मई 2017 से 30 अप्रैल 2021 तक पूर्ववर्ती चार वर्षों के मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा।
3. आवेदक अधिकतम तीन मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों को अपलोड कर सकते हैं।
4. अपलोड किए गए मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र का मूल्यांकन उपरोक्त मानदंड के अनुसार किया जाएगा। हालांकि, अपलोड किए गए उच्चतम मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र में प्राप्त अंकों को ही केंद्रीकृत खेल अंक प्राप्ति सूची तैयार करने के लिए विचार किया जाएगा।
5. अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र में अपूर्ण होने/काट-छांट/ऊपरी-लेखन होने पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. गैर-महाविद्यालयीन महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईबी) में प्रवेश

गैर-महाविद्यालयीन महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईबी) उन हजारों युवतियों / महिलाओं को स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है, जो विभिन्न कारणों से नियमित महाविद्यालय में शामिल नहीं हो सकतीं है, वे शनिवार / रविवार और शैक्षणिक अवकाश के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की कक्षाओं में शामिल हो सकती हैं। एनसीडब्ल्यूईबी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छात्राओं को नियमित कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना सप्ताह में एक बार विशेष कोचिंग के साथ

दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा देने की सुविधा प्रदान करता है। एनसीडब्ल्यूईबी महिला छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक विकल्प के रूप में उभरा है।

एनसीडब्ल्यूईबी अब लगभग 32,000 छात्राओं के साथ 26 स्नातक केंद्रों और एक स्नातकोत्तर केंद्र में स्थापित किए गए हैं। 26 स्नातक केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित किए जा रहे हैं।

महिला अभ्यर्थी जो धारा 2.5 और 2.8 में निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें केंद्रीकृत स्नातक प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। उन्हें तीन-वर्षीय बीए (प्रोग्राम) / बी.कॉम (पास) में प्रवेश हेतु गैर-महाविद्यालयीन महिला शिक्षा बोर्ड के शिक्षण केंद्रों द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। अनुसूची के अनुसार कट-ऑफ घोषित करके मेरिट के आधार प्रवेश पर दिया जाता है। गैर-महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को इसके साथ-साथ किसी भी अन्य पूर्णकालिक पाठ्यक्रम को करने की अनुमति नहीं है।

एनसीटी दिल्ली में रहने वाली इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को एनसीडब्ल्यूईबी में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के चयन पर स्वचालित रूप से एनसीडब्ल्यूईबी के लिए नामांकित किया जाता है, अर्थात बीए (प्रोग्राम) या बी.कॉम., या दोनों हेतु। एनसीडब्ल्यूईबी केंद्रों पर, कक्षा शिक्षण प्रदान किया जाता है। छात्राओं से नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम 66.67% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, जो मई के महीने में सेमेस्टर मोड/वार्षिक आधार पर आयोजित की जाती हैं। एनसीडब्ल्यूईबी स्नातक छात्राओं को अपने बीए/बीकॉम, तीन वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों को 5 वर्षों में पूरा करने की अनुमति है। बोर्ड सभी स्नातक छात्राओं को संबंधित शिक्षण केंद्रों में पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही बोर्ड जरूरतमंद और योग्य छात्राओं को शैक्षणिक वर्ष हेतु वित्तीय सहायता और पुस्तक ऋण की सुविधा भी देता है।

एक शैक्षणिक सत्र वर्ष में 50 शिक्षण दिवस होते हैं, जो शनिवार या रविवार को और दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अवकाश के दौरान आयोजित किए जाते हैं। स्नातक केंद्रों पर, कक्षाएं प्रातः 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच आयोजित की जाती हैं।

__वर्तमान में कोविड परिस्थितियों के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। कक्षा में छात्रों की उपस्थिति दिल्ली विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।__

गैर-महाविद्यालयीन शिक्षण पाठ्यक्रम का एक प्रमुख लाभ इसकी नाममात्र की फीस और शैक्षणिक संस्थानों के मौजूदा अधोसंरचना का उपयोग है। छात्रों को कौशल विकास कार्यशालाओं, रोजगार के लिए

प्लेसमेंट अभियान, स्वास्थ्य शिविर, पर्यावरण जागरूकता आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक और पाठ्येतर गतिविधियों से छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर भी मिलता है। महिलाओं की शिक्षा के लिए एक नया क्षितिज प्राप्त करने की दिशा में, एनसीडब्ल्यूईबी महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने लक्ष्य तक पहुँचने हेतु छोटे, लेकिन आत्मविश्वास से भरे कदम उठा रहा है। यह शैक्षिक और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के मस्तिष्क को प्रबुद्ध करके समग्र विकास प्रदान करने और सामाजिक परिवर्तन के एक कारक के रूप में कार्य करने की कल्पना करता है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो, और एक समतावादी समाज का उदय हो सके।

बी.ए. (कार्य.) /बी.कॉम में प्रवेश प्रक्रियाः

बी.ए. (कार्य.) हेतु विषय संयोजन में सीटों की संख्या निश्चित है। अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूडी / सीडब्ल्यू के लिए आरक्षण विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार लागू होगा।

कट-ऑफ प्रतिशत "सर्वश्रेष्ठ चार" विषयों में अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, खंड 2.5 और 2.8 में निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

कोई भी विद्यार्थी जो एनसीडब्ल्यूईबी के किसी एक केंद्र में प्रवेश लेता है, उसे प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी बाद के चरण में केंद्र बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के संघटक/संबद्ध महाविद्यालयों में एनसीडब्ल्यूईबी केंद्रों की सूची निम्नानुसार हैः

मौजूदा एनसीडब्ल्यूईबी अंडर-ग्रेजुएट केंद्रों की सूची*:

शनिवार केंद्र	रविवार केंद्र
• आर्यभट्ट कॉलेज • भागिनी निवेदिता कॉलेज • कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज • दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज • हंसराज कॉलेज • जीसस एंड मैरी कॉलेज • केशव महाविद्यालय • रामानुजन कॉलेज • श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वॉमेन	• अदिति महाविद्यालय • भारती कॉलेज • डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज • जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज • कालिंदी कॉलेज • लक्ष्मी बाई कॉलेज • महाराजा अग्रसेन कॉलेज • मैत्रेयी कॉलेज • माता सुंदरी कॉलेज • मिरंडा कॉलेज • मोतीलाल नेहरू कॉलेज

	• पीजीडीएवी कॉलेज • राजधानी कॉलेज • सत्यवती कॉलेज (शाम) • श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स • श्री अरबिंदो कॉलेज • विवेकानंद कॉलेज

*विश्वविद्यालय के पास बिना किसी पूर्व सूचना के एनसीडब्ल्यूईबी हेतु अतिरिक्त केंद्र जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है।

सामान्य सूचनाः

- प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को उनके मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- प्रवेश शुल्क लगभग रु. 3,500/- (तीन हजार पाँच सौ रुपये मात्र) होगा।
- पीडब्ल्यूडी श्रेणी के छात्रों से केवल रु. 100/- (एक सौ रुपये मात्र) का शुल्क लिया जाएगा।
- गैर-महाविद्यालयीन छात्रों को किसी अन्य पूर्णकालिक / डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं है।
- यह सुझाव दिया जाता है कि यदि संभव हो तो छात्र अपने निवास के निकट किसी केंद्र में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
- एनसीटी दिल्ली का निवास प्रमाण (अर्थात् आधार कार्ड / पासपोर्ट / मतदाता पहचान कार्ड / अभ्यर्थी के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस और / अभ्यर्थी के नाम वाला राशन कार्ड) मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
- प्रवेश और पाठ्यक्रम से संबन्धित अधिक जानकारी के लिए, अभ्यर्थियों को निदेशक, गैर-महाविद्यालयीन महिला शिक्षा बोर्ड, ट्यूटोरियल बिल्डिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट http://www.ncweb.du.ac.in देखें।
- प्रवेश की स्वीकृति के बाद, अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान ऑनलाइन करने के लिए स्नातक प्रवेश पोर्टल पर लॉग-ऑन करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, प्रवेश की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

8 अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्रवेश

दिल्ली विश्वविद्यालय में छह अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं, जो नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:

ईसाई अल्पसंख्यकः

- जीसस एंड मैरी कॉलेज
- सेंट स्टीफंस कॉलेज

सिख अल्पसंख्यकः

- माता सुंदरी कॉलेज
- श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स
- श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज
- श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज

ईसाई अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु अल्पसंख्यक महाविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन फॉर्म में विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या दर्ज करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट देखें।

सिख अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अपनी अल्पसंख्यक स्थिति को प्रमाणित करते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

सेंट स्टीफंस कॉलेज के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाः

- अभ्यर्थियों को पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, और एक विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी।
- विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या के बिना सेंट स्टीफंस कॉलेज प्रवेश पोर्टल तक एक्सेस संभव नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण फॉर्म के दोनों सेटों को एक्सेस करते समय एक ही संपर्क विवरण और ईमेल आईडी का उपयोग करें।

- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद (सेंट स्टीफन कॉलेज प्रवेश पोर्टल पर) अभ्यर्थी को पंजीकरण फॉर्म भरना होगा, प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद (पंजीकरण + पंजीकरण फॉर्म भरने की प्रक्रिया) पोर्टल एक आवेदन संख्या के साथ एक पावती सृजित करता है (जो सेंट स्टीफन कॉलेज में भविष्य के संदर्भ के लिए आवश्यक है)।

9 प्रवेश के लिए आवश्यकताएँ

9.1 अर्हता परीक्षाएँ

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित स्नातक पाठ्यक्रमों (मेरिट के साथ-साथ प्रवेश आधारित) के पहले वर्ष में प्रवेश के उद्देश्य हेतु अर्हता परीक्षा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकंडरी स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा बारहवीं), अथवा कोई अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड होगी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित इन स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु निर्दिष्ट न्यूनतम अंक प्राप्त करते हुए अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

9.2 आयु आवश्यकता

विश्वविद्यालय के अध्यादेश-I के अनुसार, विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है, केवल उन पाठ्यक्रमों को छोड़कर, जहां संबंधित नियामक निकाय, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) आदि, जिन्होंने अपने विनियमों में न्यूनतम आयु आवश्यकता निर्धारित की है।

स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजनों हेतु शैक्षणिक वर्षों के बीच अंतराल कोई बाधा नहीं होगी।

9.3 समतुल्यता मापदंड

भारतीय विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त / प्रत्यायित बोर्डों / विश्वविद्यालयों के जांच निकायों से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में महाविद्यालयों/विभागों में सभी स्नातक-पूर्व कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदनों पर विश्वविद्यालय के दिनांक 13.01.2005 के परिपत्र में वर्णित सिफारिशों के संदर्भ में महाविद्यालय/विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।

भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई) / भारत में स्कूल शिक्षा बोर्डों की परिषद (सी.ओ.बी.एस.ई) / मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा किसी द्विपक्षीय समझौते से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से विभिन्न डिग्रियां दिल्ली विश्वविद्यालय की इसी डिग्री के समकक्ष माना जाए, बशर्ते विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम की अवधि के समान हो और आगे विभागों / महाविद्यालयों को उनकी संबंधित प्रवेश समितियों के माध्यम से प्रक्रिया विकसित करने की अनुमति दी जा सकती है। भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न बोर्डों के सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र / केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को विभिन्न स्नातक-पूर्व कार्यक्रमों की पात्रता के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय बोर्ड के सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र के समकक्ष माना जाता है।

विदेशी विश्वविद्यालयों / बोर्डों की विभिन्न डिग्री / स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को समतुल्यता समिति द्वारा समय-समय पर पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है, उन्हें नियमित रूप से पात्र माना जाएगा। केवल उन उम्मीदवारों के मामले जो भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई) / भारत में स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सी.ओ.बी.एस.ई) / मानव संसाधन विकास मंत्रालय मान्यता प्राप्त प्रत्यायित बोर्डों की सूची में नहीं आते हैं, उन्हें व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा।

किसी भी बोर्ड/स्कूल द्वारा जारी किए गए अनुमानित अंकों के आधार पर किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

9.4 ग्रेड रूपांतरण [ए.सी संकल्प सं. 319, दिनांक 22.3.1976 के अनुसार]

दिल्ली विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली की उच्च माध्यमिक परीक्षा में दिए गए अंकों के प्रतिशत के साथ कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र / मलेशिया / ओवरसीज / अफ्रीकी जी.सी.ई. / परीक्षा स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा और / अथवा 12वीं कक्षा की परीक्षा में दिए गए ग्रेड प्वाइंट औसत का फॉर्मूला/समतुल्यता।

ग्रेड	**प्रत्येक ग्रेड का न्यूनतम %**	**ग्रेड**	**माध्य परिणामी प्रतिशत**
1	90	क	90

2	75	ख	75
3	66	ग	60
4	61	घ	40
5	57	ङ	30
6	51	च	अनुत्तीर्ण
7	47		
8	40		
9	अनुत्तीर्ण		

9.4.1 आईबी छात्रों को प्रवेश (आईबी ग्रेड से अंक योजना)

ग्रेड भारतीय समकक्ष मार्क		
7	96 - 100	मध्यबिंदु 98
6	83 - 95	मध्यबिंदु 89
5	70 - 82	मध्यबिंदु 76
4	56 - 69	मध्यबिंदु 62.5
3	41 - 55	मध्यबिंदु 48
2	21 - 40	मध्यबिंदु 30.5
1	01 - 20	मध्यबिंदु 10.5

9.4.2 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा) के छात्रों के लिए प्रवेश

ग्रेड	प्रतिशत समरूप अंक श्रेणी	माध्य परिणामी प्रतिशत
क*	90 - 100	मध्यबिंदु 95

ग्रेड प्रतिशत समरूप अंक श्रेणी माध्य परिणामी प्रतिशत		
क	80 - 89	मध्यबिंदु 85
ख	70 - 79	मध्यबिंदु 75
ग	60 - 69	मध्यबिंदु 65
घ	50 - 59	मध्यबिंदु 55

ङ	40 - 49	मध्यबिंदु 45

* जहाँ कहीं भी जी.सी.ई. प्रमाणपत्र ग्रेड का उल्लेख करता है; प्रवेश आवश्यकताओं के प्रयोजनों हेतु इसे भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा के ग्रेड के समान माना जाएगा। (ग्रेड रूपांतरण देखें)

* ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को इस विषय में उन्नत स्तर पर उत्तीर्ण होना चाहिए। भूविज्ञान और नृविज्ञान ऑनर्स पाठ्यक्रमों हेतु अभ्यर्थी को भौतिकी / रसायन विज्ञान / गणित / जीव विज्ञान से उन्नत स्तर पर एक विज्ञान विषय उत्तीर्ण होना चाहिए।

भौतिकी / रसायन विज्ञान में ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी को निम्नलिखित में उत्तीर्ण होना चाहिएः सामान्य स्तर पर गणित और अतिरिक्त गणित, और उन्नत स्तर पर कम से कम एक विषय (1) शुद्ध गणित (2) व्यावहारिक गणित (3) गणित (शुद्ध और व्यावहारिक), और (4) इसके अलावा, गणित या अतिरिक्त गणित सामान्य स्तर पर और एक विषय उन्नत स्तर पर।

वर्ष 2017 से लागू **कैम्ब्रिज इंटरनेशनल परीक्षाओं का नाम बदलकर कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन** कर दिया गया है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय इस बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से 10+2 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के समकक्ष मानेगा, और वे दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र हैं।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश उद्देश्यों हेतु प्रतिशत समरूप अंकों का उपयोग किया जाएगा। तथा जहां प्रतिशत समरूप अंक उपलब्ध हैं उन्हें ग्रेड को अंकों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

यदि कोई बोर्ड ग्रेड के साथ अलग-अलग विषयों के प्रतिशत अंक घोषित करता है, तो ऐसे मामलों में प्रतिशत अंकों को गणना हेतु विचार किया जाएगा।

9.5 पुन:जाँच/पुनर्मूल्यांकन

महाविद्यालय सीटों की उपलब्धता और विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किए जाने पर प्रवेश की अंतिम तिथि तक वांछित पाठ्यक्रम में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन उन

उम्मीदवारों के प्रवेश पर विचार कर सकते हैं जिनके अंक अपने संबंधित बोर्डों द्वारा पुन:जाँच / पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में बढ़ जाते हैं; महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय एडमिशन पोर्टल पर सारी जानकारी अद्यतन करनी होगी।

10 पंजीकरण के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची

उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी और प्रवेश प्रक्रिया के अंत में प्रत्यक्ष सत्यापन के समय मूल रूप से दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।

1. दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र (अंकपत्र अथवा प्रमाण पत्र) जिसमें जन्म तिथि और माता-पिता का नाम* दर्शाया गया हो (अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/सी.डब्ल्यू/के.एम. के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के नाम संबंधित आरक्षण प्रमाण पत्रों पर वर्णित नामों से मेल खाना चाहिए; इसी तरह उनके माता-पिता के नाम प्रमाण पत्र के दोनों सेटों में मेल खाना चाहिए)।

2. बारहवीं कक्षा की मार्कशीट।

3. सक्षम अधिकारी द्वारा एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी/ई.डब्ल्यू.एस/सी.डब्ल्यू/के.एम प्रमाणपत्र (अभ्यर्थी के नाम पर) जारी किया गया हो। (एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी./ई.डब्ल्यू.एस./सी.डब्ल्यू/के.एम के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के नाम उनके संबंधित स्कूल बोर्ड के अर्हक प्रमाण पत्रों पर वर्णित नामों से मेल खाना चाहिए; इसी तरह उनके माता-पिता के नाम प्रमाण पत्र के दोनों सेटों में मेल खाना चाहिए)।

4. सक्षम अधिकारी द्वारा ओ.बी.सी (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र (अभ्यर्थी के नाम पर) जारी किया गया हो, और जिसमें जाति http://ncbc.nic.in द्वारा जारी ओ.बी.सी. केंद्रीय सूची में है। (ओ.बी.सी (नॉन-क्रीमी लेयर) के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का नाम उम्मीदवार के नाम से मेल खाना चाहिए क्योंकि यह उनके संबंधित स्कूल बोर्ड के अर्हक प्रमाण पत्रों पर दिखाई देता है; इसी तरह उनके माता-पिता के नाम प्रमाण पत्र के दोनों सेटों में मेल खाना चाहिए)। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आय प्रमाण पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2021 को अथवा उसके बाद, जैसा कि निर्धारित किया गया है, आवश्यक होगा। ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र का प्रारूप वर्ष 2014 में जारी डी.ओ.पी.टी. प्रमाण पत्र के अनुसार है। (परिशिष्ट V)

5. सक्षम अधिकारी से प्राप्त ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र (परिशिष्ट IV) जो उम्मीदवार हेतु इस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा को प्रमाणित कर सकता है। (इस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के नाम उनके संबंधित स्कूल बोर्ड के अर्हक (क्वालीफाइंग) प्रमाण पत्रों पर वर्णित नामों से मेल खाना चाहिए; इसी तरह उनके माता-पिता के नाम प्रमाण पत्र के दोनों सेटों में मेल खाना चाहिए)। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आय प्रमाण पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2021 को अथवा उसके बाद, जैसा कि निर्धारित किया गया है, आवश्यक होगा।

6. ई.सी.ए/खेल श्रेणियों के माध्यम से दाखिला का दावा करने वाले किसी भी उम्मीदवार को सूचना के इस बुलेटिन की धारा 6 में निर्धारित अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व-साक्ष्यांकित प्रतियाँ अपलोड करनी चाहिए/संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उम्मीदवार पंजीकरण के समय अपलोड की गई छवियों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार होंगे। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि अपलोड प्रामाणिक और सटीक हैं। मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होंगे। सभी प्रमाण पत्र / दस्तावेज महाविद्यालय / विभाग द्वारा किसी भी प्रत्यक्ष सत्यापन के पूरा होने पर उम्मीदवार को वापस कर दिए जाएंगे जो बाद के चरण में आवश्यक हो सकते हैं।

यदि अभ्यर्थी के पास पंजीकरण/आवेदन के समय उनका हाल का/ वैध ईडबल्यूएस/अपिव (गैर-क्रिमी लेयर) / अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति / जनजाति प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, तो वे प्रमाणपत्र हेतु आवेदित आवेदन की पावती पर्ची अपलोड कर सकते हैं। हालांकि, प्रवेश के समय, अभ्यर्थी को वैध मूल रूप में संबन्धित जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

11 दाखिला शिकायत निवारण समितियाँ

एक ऑनलाइन केंद्रीय दाखिला (एडमिशन) शिकायत निवारण समिति होगी। प्रत्येक महाविद्यालय की अपनी शिकायत निवारण समिति होगी। उम्मीदवार "शिकायत" टैब के तहत विश्वविद्यालय स्नातक-पूर्व पोर्टल पर प्रदान किए गए लिंक का उपयोग करके एक ई-मेल भेज सकते हैं। महाविद्यालय शिकायत समिति के सदस्यों के नाम महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। दाखिला को लेकर शिकायत रखने वाले अभ्यर्थियों को पहले महाविद्यालय की शिकायत समिति से संपर्क करना चाहिए। यदि शिकायत का उचित समय के भीतर समाधान नहीं किया जाता है, तभी उम्मीदवार केंद्रीय दाखिला शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकता है।

अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/ईडबल्यूएस की शिकायतों की जांच के लिए एक शिकायत उप समिति

होगी और पी.डब्ल्यू.बीडी उम्मीदवारों के लिए एक अन्य होगी। प्रत्येक महाविद्यालय में अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से शिकायत समिति भी होगी, जिसमें संयोजक के रूप में संपर्क अधिकारी सहित तीन सदस्य होंगे। महाविद्यालयों में अनु.जाति / अनु.जनजाति / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए शिकायत समिति के सदस्यों का नाम, संपर्क नंबर और ई-मेल पता महाविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि उम्मीदवारों की जरूरतों / प्रश्नों को सुविधाजनक तरीके से समाधान किया जा सके।